



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 2018/ज्येष्ठ 18, 1940

No. 387]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 2018/JYAISTHA 18, 1940

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2018

**सा.का.नि. 535(अ).—** केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्नलिखित का अधिकांश करते हुए -

- (1) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (2) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (3) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद, (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015;
- (4) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (5) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (6) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (7) ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (8) ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (9) ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (10) ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (11) ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (12) ऋण वसूली अधिकरण, रांची, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003;

- (13) ऋण वसूली अधिकरण, रांची, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (14) ऋण वसूली अधिकरण, रांची, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (15) ऋण वसूली अधिकरण, रांची, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (16) ऋण वसूली अधिकरण, रांची, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (17) ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (18) ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (19) ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (20) ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (21) ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (22) ऋण वसूली अधिकरण, पटना, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (23) ऋण वसूली अधिकरण, पटना, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (24) ऋण वसूली अधिकरण, पटना, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (25) ऋण वसूली अधिकरण, पटना, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (26) ऋण वसूली अधिकरण, पटना, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (27) ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003;
- (28) ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (29) ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (30) ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (31) ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (32) ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (33) ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;

केन्द्रीय सरकार, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद और ऋण वसूली अधिकरण, रांची, ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर, ऋण वसूली अधिकरण, पटना, ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ और ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में समूह 'क', 'ख' और 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद और ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद, रांची, जबलपुर, पटना, लखनऊ और देहरादून भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **ग्रेड और संख्या** - ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद और उसके अधिकारिता के अंतर्गत प्रत्येक ऋण वसूली अधिकरण में विभिन्न ग्रेड और प्रत्येक ग्रेड में रिक्तियों की संख्या उपाबद्ध पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** – पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन से उपाबद्ध दूसरी अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो दूसरी अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **नियुक्ति प्राधिकारी** - तीसरी अनुसूची के स्तंभ (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) के अंतर्गत तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होगा।
6. **अपील प्राधिकारी** - अनुशासनात्मक और अपील प्राधिकारी उपाबद्ध संलग्न चौथी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
7. **स्थानांतरण** - ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद और उसके अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले ऋण वसूली अधिकरणों में पद पर नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थानांतरित किया जा सकता है। परन्तु प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा संवर्गीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त किसी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
8. **ज्येष्ठता** - (1) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद तथा उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी ऋण वसूली अधिकरणों के लिए प्रत्येक ग्रेड हेतु एक साझी वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी।  
(2) ज्येष्ठता का निर्धारण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के नियत किया जाएगा।
9. **निरर्हता** - वह व्यक्ति:
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
10. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
11. **व्यावृत्ति** - इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

पहली अनुसूची  
(नियम 2 देखें)

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या							कुल
		डीआरएटी, इलाहाबाद	डीआरटी, इलाहाबाद	डीआरटी, देहरादून	डीआरटी, लखनऊ	डीआरटी, जबलपुर	डीआरटी, पटना	डीआरटी, रांची	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	रजिस्ट्रार	1	0	1	1	1	1	1	6
2.	सहायक रजिस्ट्रार	0	1	1	1	1	1	1	6
3.	वसूली अधिकारी	0	2	2	2	2	2	2	12
4.	अनुभाग अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	7
5.	निजी सचिव	1	1	1	1	1	1	1	7
6.	सहायक	2	4	4	4	4	4	4	26
7.	लेखा सहायक	0	1	1	1	1	1	1	6

8.	आशुलिपिक ग्रेड-1	1	2	2	2	2	2	2	13
9.	उच्च श्रेणी लिपिक	2	3	3	3	3	3	3	20
10.	आशुलिपिक ग्रेड-II	1	1	1	1	1	1	1	7
11.	अवर श्रेणी लिपिक	2	4	4	4	4	4	4	26
12.	स्टाफ कार ड्राईवर	1	1	0	1	1	1	1	
13.	बहु कार्य कर्मचारिवृंद	4	7	0	7	7	7	7	39

दूसरी अनुसूची  
(नियम 3 और 4 देखें)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा सैर-चयन पद है	सीधी भर्ती से आने वालों हेतु आयु-सीमा	सीधी भर्ती से आने वालों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. रजिस्ट्रार	* 06 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 12 (78800-209200 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसमें ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा	<b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी जिसने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। <b>टिप्पणी:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा वरतें कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता या पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य	लागू नहीं होता।

		<p>उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> (क) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा न्यायालयों अथवा अभिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) जो विभाग के मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करते हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा (ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी,- (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित सेवा के साथ आधार पर वेतनमान में V सदृश पदधारण करते हों; (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतनमान IV में पद पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ;</p> <p><b>बांछनीय:</b> विधिक अथवा न्यायायिक कार्य का अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने हेतु) की संरचना निम्नानुसार है:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष</li> <li>2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य</li> <li>3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य</li> <li>4. विधिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक – सदस्य</li> </ol>	
--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 सहायक रजिस्ट्रार	* 06 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> (i) श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 में अनुभाग अधिकारियों से 75%; और (ii) श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 में निजी सचिवों से 25%।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष</li> <li>2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाए) – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता ।

		<p>वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपए) में नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के अतिरिक्त मूल संवर्ग या विभाग में या उसके समान पद में स्तर 9 में अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर हो; या</p> <p>(iii) वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) के स्तर 8 या समतुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 6 वर्ष सेवा की हो;</p> <p>(iv) वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 या समतुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>(ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी-</p> <p>(i) स्केल-IV के अधिकारी जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण कर रहे हों;</p> <p>(ii) स्केल-III के अधिकारी जिसने पद में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>बांछनीय:</b></p> <p>विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>3. निदेशक या उप सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य</p> <p>चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <p>1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष</p> <p>2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाए) – सदस्य</p> <p>3. निदेशक या उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य</p> <p>4. निदेशक या उप सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य</p> <p>5 संयुक्त विधिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य</p>	
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 वसूली अधिकारी	* 12 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपए) स्तर 9 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष की</p>	<p>चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <p>1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष</p>	लागू नहीं ।

		<p>सेवा की हो; या</p> <p>(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) स्तर 8 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी-</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करने वाले स्केल-V अधिकारी; या</p> <p>(ii) पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में स्केल-III अधिकारी जिन्होंने पांच वर्ष सेवा की है।</p> <p><b>बांछनीय:</b> विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाए) - सदस्य</p> <p>3. निदेशक या उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य</p> <p>4. निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य</p> <p>5. संयुक्त विधिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य</p>	
--	--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4 अनुभाग अधिकारी	* 07 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसमें सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 में ऐसे सहायकों ने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>बांछनीय:</b> विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की प्रत्यक्ष पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचारार्थ</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <p>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण - अध्यक्ष</p> <p>2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</p> <p>3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</p>	लागू नहीं होता ।

		<p>पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5 निजी सचिव	* 07 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसमें सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) के स्तर 6 में ऐसा आशुलिपिक ग्रेड-1 जिसने श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 या समतुल्य आशुलिपिक ग्रेड में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात ग्रेड 1 में पांच वर्ष की सेवा की हो।</p> <p><b>बांछनीय:</b> विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचार किए जाने के तहत पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण – अध्यक्ष</li> <li>2. सचिव या पंजीयक, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> <li>3. सहायक पंजीयक या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता ।



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6 सहायक	* 26 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति प्राप्त लोगों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4 में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिबीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्र सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण - अध्यक्ष</li> <li>2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> <li>3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 लेखा सहायक	* 06 (2018) * कार्यभार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी,-</p> <p>(क) (i) वर्तमान संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करने वाले; अथवा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>(ख) जिसने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान अथवा समकक्ष</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

			<p>केन्द्रीय सरकार के किसी भी संस्थान से नकद और लेखा के काम का प्रशिक्षण लिया हो।</p> <p><b>टिप्पण: 1.</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण: 2.</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8 आशुलिपिक ग्रेड।	* 13 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4 में आशुलिपिक ग्रेड-2 जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण अथवा पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – अध्यक्ष</li> <li>2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण अथवा ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> <li>3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9 उच्च श्रेणी लिपिक	* 20 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 4 (25500-81100 रुपए)	अचयन	लागू नहीं होता	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए शून्य	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपए) में स्तर 2 में अवर श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपए) में स्तर 2 या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात अवर श्रेणी लिपिक जिसने आठ वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण - अध्यक्ष</li> <li>2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> <li>3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10 आशुलिपिक ग्रेड II	* 07 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 4 (25500-81100 रुपए)	लागू नहीं होता	<p>18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा</p>	<p>(i) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उसके समतुल्य</p> <p>(ii) कौशल परीक्षण की शर्तें श्रुत लेख: 10 मिनट और 80 शब्द प्रति मिनट</p>

					दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगा।	प्रतिलेखन: 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिन्दी) (मैनुअल टाइपराइटिंग पर) अथवा 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी) (कंप्यूटर पर)
--	--	--	--	--	---------------------------------	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण कर रहे हों; अथवा (ii) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए विहित आर्हता रखता हो।	लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण - अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 अवर श्रेणी लिपिक	* 26 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 2 (19900-63200 रुपए)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पण:</b> आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगा (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती है, वहां आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तारीख आवेदन की अंतिम तारीख के अनुसार होगा)।	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबावों के आधार पर प्रत्येक घंटा 10,500 कुंजी दबावों अथवा प्रत्येक घंटा 9000 कुंजी दबावों के तदनु रूप हो)।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
हां	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	(i) 50% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 50% विभागीय अर्हता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा उसमें असफल	<b>प्रोन्नति:</b> बहु कार्य कर्मचारिवृद्ध में से व्यक्ति जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य हों या विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। <b>टिप्पण 1:</b> परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा पैंतालीस वर्ष होगी। <b>टिप्पण 2:</b> केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक छूट दी जाएगी। <b>टिप्पण 3:</b> यदि खंड (ii) के अंतर्गत स्तंभ 10 के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से परीक्षा में उत्तीर्ण ऐसे कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है तो ऐसी अतिरिक्त संख्या वाले कर्मचारियों तदनंतर वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने हेतु विचार किया जाएगा	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण - अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य और 3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता

	होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>ताकि पूर्व में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो कि बाद की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के कर्मचारियों में से:-</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (7) के अंतर्गत विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
--	------------------------------	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12 स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	* 06(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 2 (19900-63200 रुपए)	लागू नहीं	<p>18 से 25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख वह होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p> <p>* यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।</p>	<p>(i) मोटर कार के लिए विधि मान्य चालन अनुज्ञा-पत्र होना चाहिए;</p> <p>(ii) मोटर रचना तंत्र की जानकारी (आवेदक वाहन की छोटी त्रुटियों को दूर करने योग्य होना चाहिए);</p> <p>(iii) मोटर कार के लिए चालन का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव; और</p> <p>(iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।</p> <p><b>वांछनीय:</b> होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सेवा।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने</p>

						वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती से आने वाले अथवा पुनर्नियोजन वालों हेतु दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति तथा आमेलन जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बलों के कार्मिकों हेतु; प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन	<p><b>प्रतिनियुक्ति तथा आमेलन:</b> ऋण वसूली अपील अधिकरण अथवा ऋण वसूली अधिकरणों के समूह 'ग' के वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 के उन नियमित कर्मचारियों में से मोटर कार चलाने की क्षमता के आकलन हेतु चालन परीक्षा के आधार पर जिनके पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो। इसमें सफल ना होने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में समूह 'ग' के वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 के उन नियमित कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं को पूरा करते हों।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति अथवा सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए पुनर्नियोजन:</b> सशस्त्र बलों के वे कार्मिक जो कि सेवानिवृत्त होने वाले हैं अथवा जिन्हें कि एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विनिर्धारित अर्हताएं हैं, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा उस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाता है तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1. पंजीयक या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण - अध्यक्ष 2. पंजीयक या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक पंजीयक, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13 बहु कार्य कर्मचारिवृंद	* 39 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 1 (18000-56900 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच <b>टिप्पण 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	मैट्रिकुलेशन या समतुल्य

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष	कर्मचारी चयन	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-	लागू नहीं होता

होता		आयोग द्वारा सीधी भर्ती		1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण – अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य	
------	--	------------------------	--	--	--

तीसरी अनुसूची  
(नियम 5 देखें)

क्रम संख्या	पद	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार

चौथी अनुसूची  
(नियम 6 देखें)

क्रम संख्या	पद	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	केन्द्र सरकार (माननीय वित्त मंत्री)
3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में यथा उपबंधित

[फ़ा. सं. 5/2/2016- डीआरटी]

वीवीएस खड़ायत, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Financial Services)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th June, 2018

**G.S.R.535(E).**—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), and in supersession of—

- 1) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 2) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 3) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad (Court Master) Recruitment Rules, 2015;
- 4) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 5) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 6) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 7) the Debts Recovery Tribunal, Allahabad, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 8) the Debts Recovery Tribunal, Allahabad, (Groups 'C' and 'D' posts)(Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 9) the Debts Recovery Tribunal, Allahabad (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 10) the Debts Recovery Tribunal, Allahabad (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 11) the Debts Recovery Tribunal, Allahabad (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;

- 12) the Debts Recovery Tribunal, Ranchi Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2003;
- 13) the Debts Recovery Tribunal, Ranchi, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 14) the Debts Recovery Tribunal, Ranchi (Lower Division Clerk), Recruitment Rules, 2017;
- 15) the Debts Recovery Tribunal, Ranchi (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 16) the Debts Recovery Tribunal, Ranchi (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 17) the Debts Recovery Tribunal, Jabalpur, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- 18) the Debts Recovery Tribunal, Jabalpur (Group 'C' and 'D' Posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998;
- 19) the Debts Recovery Tribunal, Jabalpur (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 20) the Debts Recovery Tribunal, Jabalpur (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 21) the Debts Recovery Tribunal, Jabalpur (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 22) the Debts Recovery Tribunal, Patna, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- 23) the Debts Recovery Tribunal, Patna (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998;
- 24) the Debts Recovery Tribunal, Patna (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 25) the Debts Recovery Tribunal, Patna (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 26) the Debts Recovery Tribunal, Patna (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 27) the Debts Recovery Tribunal, Lucknow, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2003;
- 28) the Debts Recovery Tribunal, Lucknow, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 29) the Debts Recovery Tribunal, Lucknow (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 30) the Debts Recovery Tribunal, Lucknow (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 31) the Debts Recovery Tribunal, Lucknow (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 32) the Debts Recovery Tribunal, Dehradun (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 33) the Debts Recovery Tribunal, Dehradun (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017.

except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Group 'A', 'B' and 'C' in the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad, and, Debts Recovery Tribunal, Allahabad, Debts Recovery Tribunal, Ranchi, Debts Recovery Tribunal, Jabalpur, Debts Recovery Tribunal, Patna, Debts Recovery Tribunal, Lucknow and Debts Recovery Tribunal, Dehradun, namely:—

**1. Short Title and Commencement.**— (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad and Debts Recovery Tribunals at, Allahabad, Ranchi, Jabalpur, Patna, Lucknow and Dehradun Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Grade and strength.**—The various grades and the number of posts in each grade in Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad and each Debts Recovery Tribunal under its jurisdiction are as specified in the First Schedule annexed hereto.

**3. Number of post, classification and Level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of Second Schedule .

**4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters related to the said post shall be specified in columns (5) to (13) of the Second Schedule .



5. **Appointing Authority.**—The Appointing Authority in respect of the post specified under column (2) of the Third Schedule shall be the authority specified in the corresponding entry under column (3) of the said Schedule.

6. **Disciplinary and Appellate Authorities.**—The Disciplinary and Appellate Authorities shall be as specified in the Fourth Schedule attached hereto.

7. **Transfer.**—Every person appointed to the post in Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad, and Debts Recovery Tribunals under its jurisdiction is liable to be transferred within the jurisdiction of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad. Provided that an officer appointed on deputation basis or against encadred posts are not liable to be transferred.

8. **Seniority.**— (1) A common seniority list shall be maintained for each grade for the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad and all the Debts Recovery Tribunals under its jurisdiction.

(2) The seniority shall be fixed as per the orders issued by the Central Government in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel and Training from time to time in this regard.

9. **Disqualifications:**— No person.—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person
- shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

10. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

11. **Saving** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### FIRST SCHEDULE

(See Rule 2)

Serial Number	Name of the post	Number of post							Total
		DRAT, Allahabad	DRT Allahabad	DRT Dehradun	DRT Lucknow	DRT Jabalpur	DRT Patna	DRT Ranchi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Registrar	1	0	1	1	1	1	1	6
2.	Assistant Registrar	0	1	1	1	1	1	1	6
3.	Recovery Officer	0	2	2	2	2	2	2	12
4.	Section Officer	1	1	1	1	1	1	1	7
5.	Private Secretary	1	1	1	1	1	1	1	7
6.	Assistant	2	4	4	4	4	4	4	26
7.	Accounts Assistant	0	1	1	1	1	1	1	6
8.	Stenographer Grade-I	1	2	2	2	2	2	2	13
9.	Upper Division Clerk	2	3	3	3	3	3	3	20

10.	Stenographer Grade-II	1	1	1	1	1	1	1	7
11.	Lower Division Clerk	2	4	4	4	4	4	4	26
12.	Staff Car Driver	1	1	0	1	1	1	1	6
13.	Multi-Tasking Staff	4	7	0	7	7	7	7	39

**Second Schedule**  
(See rule 3 and 4)

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age Limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Registrar.	06* (2018)  *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'.	Level 12 (Rs.78800-209200).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	(i) 50% by promotion failing which by deputation;  (ii) 50% by deputation.	<b>Promotion:</b>  Assistant Registrar or Recovery Officer in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade.  <b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-  1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson; 2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member; 3. Director, Department of Financial Services - Member.  Selection Committee (for considering deputation) consisting of :-  1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial	Not applicable.

			<p><b>Deputation:</b></p> <p>(a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals;</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre of department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent, in the parent cadre or department; or .</p> <p>(b) Officers of the public sector banks,-</p> <p>(i) holding analogous posts in scale V on a regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>(ii) with five years regular service in the post in scale IV in the parent cadre or department;</p> <p>Desirable:</p> <p>Experience in legal or judicial work.</p> <p>Note1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	<p>Services -</p> <p>Chairperson;</p> <p>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services)</p> <p>- Member;</p> <p>3. Director, Department of Financial Services</p> <p>- Member;</p>	
--	--	--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Registrar.	06* (2018)  *subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level 11 (Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>(i) 75% from the Section Officers in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with seven years regular service in the grade; and</p> <p>(ii) 25% from the Private Secretaries in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with seven years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>(a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent, in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in Level 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent;and</p> <p>(iv)with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent;</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson;</li> <li>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member;</li> <li>3. Director or Deputy Secretary, (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Member.</li> </ol> <p>Selection Committee (for considering deputation) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson;</li> <li>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member;</li> <li>3. Director or Deputy Secretary, Department of Financial Services - Member;</li> <li>4. Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Member;</li> <li>5. Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India - Member.</li> </ol>	Not applicable.

			<p>(b) Officers of the public sector banks,-</p> <p>(i) Scale IV Officers holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) Scale III Officers with five years regular service in the post.</p> <p>Desirable:</p> <p>Experience in legal or judicial work.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.Recovery Officer.	12 * (2018)  *subject to variation  dependent on workload.	Group 'A'.	Level 11 (Rs 67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	<p>(a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years</p>	<p>Selection Committee (for considering deputation) consisting of:-</p> <p>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson;</p> <p>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department</p>	Not applicable.

			<p>service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or equivalent, in the parent cadre or department;or</p> <p>(iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent, in the parent cadre or department;or</p> <p>(iv)with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent,</p> <p>in the parent cadre or department;</p> <p>(b) Officers of the public sector banks,-</p> <p>(i) Scale IV Officers holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;or</p> <p>(ii) Scale III Officers with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post.</p> <p>Desirable:</p>	<p>of Financial Services Member;</p> <p>3. Director or Deputy Secretary, Department of Financial Services Member;</p> <p>4. Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services Member;</p> <p>5. Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India Member.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>Degree in law or having legal experience.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Section Officer.	07* (2018) *subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 7 (Rs. 44900-142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Assistants in Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal -</li> <li>Chairperson; Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal -</li> <li>Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal Member. -</li> </ol>	Not applicable.

			<p>eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals;</p> <p>(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Experience in legal or judicial work.</p> <p><b>Note1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.Private Secretary.	07 * (2018)  *subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 7 (Rs. 44900-142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion	<b>Promotion:</b>	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for	Not applicable.



	failing which by deputation.	<p>Stenographers Grade I in Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Stenographer Grade I in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Experience in legal or judicial work.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>(ii) <b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	<p>considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal</li> <li>- Chairperson;</li> <li>2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal</li> <li>- Member;</li> <li>3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal</li> <li>- Member.</li> </ol>	
--	------------------------------	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.Assistant.	26 * (2018)  *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs.35400-112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Upper Division Clerks in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Courts or Tribunals,-</p> <p>(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal -</p> <p>Chairperson;</p> <p>2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal -</p> <p>Member;</p> <p>3 . Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal -</p> <p>Member.</p>	Not applicable.

			exceed three years.  <b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.Accounts Assistant.	06* (2018)  *subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs. 35400-112400).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	<p>Officers under the Central Government,-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) who have undergone training in cash and accounts work in Institute of Secretariat Training and Management or equivalent Institute of Central Government</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	Not applicable.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.Stenographer Grade I.	13* (2018)  *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs. 35400-112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Stenographers Grade II in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding</p>	Not applicable.

			<p>service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or</p>	<p>Officer, Debts Recovery Tribunal -</p> <p>Chairperson;</p> <p>2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal -</p> <p>Member;</p> <p>3 . Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal -</p> <p>Member.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Upper Division Clerk.	20 * (2018)  *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level 4 (Rs.25500-81100).	Non-selection.	Not applicable.	Degree of a recognized university or equivalent.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruitment. Nil for promotees.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Lower Division Clerk in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) Lower Division Clerk with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal Chairperson;</p> <p>2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal Member;</p> <p>3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal Member.</p>	Not applicable.

			<p>promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Stenographer Grade II.	* 07 (2018)  *Subject to variation dependent on workload	Group 'C'.	Level 4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.	Between 18 and 27 years  (Relaxable for Government Servant upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12 <sup>th</sup> class pass or equivalent from a recognised Board or University;  (ii) Skill Test Norms:-  Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute  Transcription: 65 minutes (English), 75 minutes (Hindi) (On Manual Typewriter) or 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) (On Computer).

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	<p>By direct recruitment through Staff Selection Commission.</p> <p><b>Note :</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government,-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (ii) possessing the</p>	Not applicable.	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal Chairperson;</p> <p>2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal - Member;</p> <p>3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal - Member.</p>	Not Applicable.

		qualifications prescribed for direct recruits under column (7).			
--	--	---	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.Lower Division Clerk.	26* (2018) * subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level 2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by Staff Selection Commission (where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).	(i) 12 <sup>th</sup> class or equivalent qualification from a recognised Board or University.  (ii) Typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer.  (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 Key Depressions per Hour or 9000 Key Depressions per Hour on an average of 5 key depressions for each word)

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Yes	Two years for direct recruits.	(i) 50% by direct recruitment through Staff Selection Commission.  (ii) 50% by promotion on the basis of a departmental qualifying examination failing which by deputation.	<b>Promotion:</b>  From amongst Multi-Tasking Staff with three years regular service in the grade and who possess 12 <sup>th</sup> class pass or equivalent qualification, on the basis of a departmental qualifying examination.  <b>Note 1.-</b> The maximum age-limit for appearing in the examination shall be forty five years.  <b>Note 2.-</b> Relaxable in case of the employees belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.  <b>Note 3.-</b> If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) under column 10 qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion or confirmation) consisting of :-  1.Registrar or Secretary Debts Recovery Appellate Tribunal - Chairperson;  2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal - Member;  3.Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.	Not Applicable.

			<p>subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.</p> <p><b>Deputation:-</b></p> <p>From amongst staff of Central or State Government or Courts or Tribunals:-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) With three years regular service in level-1 (Rs 18000-56900/) in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing educational qualifications as prescribed under column (7) for direct recruits</p> <p><b>Note 1.-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2.-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	06* (2018) *subject to variation dependent on workload	Group 'C'.	Level 2 (Rs.19900-63200).	Not applicable.	<p>Between 18 and 25* years (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note 1 :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India ( and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal</p>	<p>(i) Possession of a valid driving licence for motor cars;</p> <p>(ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle);</p> <p>(iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years; and</p> <p>(iv) Pass in 10<sup>th</sup> standard.</p> <p>Desirable: 3 years service as Home Guard or Civil Volunteers.</p> <p>Note : The qualification regarding experience is relaxable</p>



					Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  *If the direct recruitment is to be made by direct open competitive Examination, the age limit would be 18-27 years.	at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation or absorption failing which by direct recruitment.  For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.	<p><b>Deputation or absorption:</b></p> <p>From amongst regular Group 'C' employees in Level 1 in the pay matrix (Rs 18000-56900) in Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunals who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from amongst regular Group 'C' employees in Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7).</p> <p><b>Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:</b></p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal - Chairperson;</p> <p>2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal - Member;</p> <p>3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.Multi-Tasking Staff.	39* (2018)  *subject to variation dependent on	Group 'C'.	Level 1 (Rs.18000-56900).	Not applicable.	Between 18 and 25 years.  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in	Matriculation or equivalent.

	workload.				India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	
--	-----------	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-  1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal - Chairperson;  2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal - Member;  3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal - Member.	Not applicable.

**Third Schedule**  
(See Rule 5)

Serial Number	Post	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
3.	Group 'A'	Central Government

**Fourth Schedule**  
(See Rule 6)

Serial Number	Post	Appointing Authority	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal	Central Government (Hon'ble Minister of Finance)
3.	Group 'A'	Central Government	As provided in Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965

[F.No. 5/2/2016-DRT]  
V.V.S KHARAYAT, Under Secy.-[P]

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 8 जून, 2018

**सा.का.नि. 536(अ).**—केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्नलिखित का अधिकांश करते हुए -

- (1) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (2) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (3) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई, (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015;
- (4) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (5) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (6) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (7) ऋण वसूली अधिकरण, एर्णाकुलम, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (8) ऋण वसूली अधिकरण, एर्णाकुलम, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (9) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, एर्णाकुलम, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (10) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, एर्णाकुलम, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (11) ऋण वसूली अधिकरण, एर्णाकुलम, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (12) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, एर्णाकुलम, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (13) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, एर्णाकुलम, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (14) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (15) ऋण वसूली अधिकरण, चेन्नई, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (16) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, चेन्नई, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (17) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, चेन्नई, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (18) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, चेन्नई, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (19) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (20) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, चेन्नई, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (21) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, चेन्नई, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (22) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, चेन्नई, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (23) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, चेन्नई, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (24) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, चेन्नई, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2009;
- (25) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, चेन्नई, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (26) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, चेन्नई, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (27) ऋण वसूली अधिकरण, मदुरै, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2009;
- (28) ऋण वसूली अधिकरण, मदुरै, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (29) ऋण वसूली अधिकरण, मदुरै, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;

- (30) ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बतूर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003;
- (31) ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बतूर, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (32) ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बतूर, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (33) ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बतूर, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (34) ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बतूर, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (35) ऋण वसूली अधिकरण, बंगलोर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (36) ऋण वसूली अधिकरण, बंगलोर, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (37) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, बंगलोर, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (38) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, बंगलोर, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (39) ऋण वसूली अधिकरण, बंगलोर, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (40) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, बंगलोर, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (41) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, बंगलोर, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;

केन्द्रीय सरकार, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई और ऋण वसूली अधिकरण, एर्णाकुलम-1, ऋण वसूली अधिकरण, एर्णाकुलम-2, ऋण वसूली अधिकरण, चेन्नई-1, ऋण वसूली अधिकरण, चेन्नई-2, ऋण वसूली अधिकरण, चेन्नई-3, ऋण वसूली अधिकरण, मदुरै, ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बतूर, ऋण वसूली अधिकरण, बंगलोर-1 और ऋण वसूली अधिकरण, बंगलोर-2 में समूह 'क', 'ख' और 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई और ऋण वसूली अधिकरण, एर्णाकुलम, चेन्नई, मदुरै, कोयम्बतूर और बंगलोर भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **ग्रेड और संख्या** - ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई और उसके अधिकारिता के अंतर्गत प्रत्येक ऋण वसूली अधिकरण में विभिन्न ग्रेड और प्रत्येक ग्रेड में रिक्तियों की संख्या उपाबद्ध पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** - पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन से उपाबद्ध दूसरी अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो दूसरी अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **नियुक्ति प्राधिकारी** - तीसरी अनुसूची के स्तंभ (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) के अंतर्गत तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होगा।

6. **अपील प्राधिकारी** - अनुशासनात्मक और अपील प्राधिकारी उपाबद्ध संलग्न चौथी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

7. **स्थानांतरण** - ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई और उसके अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले ऋण वसूली अधिकरणों में पद पर नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थानांतरित किया जा सकता है। परन्तु प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा संवर्गीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त किसी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

8. **ज्येष्ठता** - (1) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई तथा उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी ऋण वसूली अधिकरणों के लिए प्रत्येक ग्रेड हेतु एक साझी वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी।

(2) ज्येष्ठता का निर्धारण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के नियत किया जाएगा।

**9. निरर्हता - वह व्यक्ति:**

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**10. शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**11. व्यावृत्ति** – इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

**पहली अनुसूची**

(नियम 2 देखें)

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या										कुल
		डीआरएटी, चेन्नई	डीआरटी- 1, बंगलोर	डीआरटी- 2, बंगलोर	डीआरटी- 1, चेन्नई	डीआरटी- 2, चेन्नई	डीआरटी- 3, चेन्नई	डीआरटी, कोयम्बतूर	डीआरटी-1, एर्णाकुलम	डीआरटी- 2, एर्णाकुलम	डीआरटी, मदुरै	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	रजिस्ट्रार	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9
2.	सहायक रजिस्ट्रार	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
3.	वसूली अधिकारी	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
4.	अनुभाग अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
5.	निजी सचिव	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6.	सहायक	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
7.	लेखा सहायक	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
8.	आशुलिपिक ग्रेड- I	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19
9.	उच्च श्रेणी लिपिक	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
10.	आशुलिपिक ग्रेड- II	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	8
11.	अवर श्रेणी लिपिक	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
12.	स्टाफ कार ड्राईवर	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	5
13.	बहु कार्य कर्मचारिवृंद	3	7	0	7	7	6	7	7	0	6	50

**दूसरी अनुसूची**

(नियम 3 और 4 देखें)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर- चयन पद है	सीधी भर्ती से आने वालों हेतु आयु-सीमा	सीधी भर्ती से आने वालों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 रजिस्ट्रार	* 09 (2018)	समूह 'क'	स्तर 12	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		(78800-209200 रुपए)			
--	---	--	---------------------	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसमें ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा	<b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में सहायक रजिस्टार या वसूली अधिकारी जिसने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। <b>टिप्पणी:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता या पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। <b>प्रतिनियुक्ति:</b> (क) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारें अथवा न्यायालयों अथवा अभिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) जो विभाग के मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करते हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य 3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने हेतु) की संरचना निम्नानुसार है: 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकारी,	लागू नहीं होता

		<p>(ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी,-</p> <p>(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित सेवा के साथ आधार पर वेतनमान में V सदृश पदधारण करते हों;</p> <p>(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतनमान IV में पद पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ;</p> <p><b>वांछनीय:</b> विधिक अथवा न्यायाधिक कार्य का अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>ऋण वसूली अधिकरण, (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य</p> <p>3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य</p> <p>4. विधिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक – सदस्य</p>	
--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 सहायक रजिस्ट्रार	* 09 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसमें ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b></p> <p>(i) श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 में अनुभाग अधिकारियों से 75%; और</p> <p>(ii) श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 में निजी सचिवों से 25%।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <p>1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष</p> <p>2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाए) – सदस्य</p> <p>3. निदेशक या उप सचिव,</p>	लागू नहीं होता

		<p>है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपए) में नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के अतिरिक्त मूल संवर्ग या विभाग में या उसके समान पद में स्तर 9 में अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर हो; या</p> <p>(iii) वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) के स्तर 8 या समतुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 6 वर्ष सेवा की हो;</p> <p>(iv) वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 या समतुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>(ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी-</p> <p>(i) स्केल-IV के अधिकारी जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सद्दश पदधारण कर रहे हों;</p> <p>(ii) स्केल-III के अधिकारी जिसने पद में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>(ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य</p> <p>चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <p>1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष</p> <p>2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाए) – सदस्य</p> <p>3. निदेशक या उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य</p> <p>4. निदेशक या उप सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य</p> <p>5 संयुक्त विधिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य</p>	
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 वसूली अधिकारी	* 18 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।



(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपए) स्तर 9 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) स्तर 8 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी-</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करने वाले स्केल-IV अधिकारी; या</p> <p>(ii) पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में स्केल-III अधिकारी जिन्होंने पांच वर्ष सेवा की है।</p> <p><b>वांछनीय:</b> विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <p>1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष</p> <p>2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाए) - सदस्य</p> <p>3. निदेशक या उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य</p> <p>4. निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य</p> <p>5. संयुक्त विधिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य</p>	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4 अनुभाग अधिकारी	* 10 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसमें सफल ना	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 में ऐसे सहायकों ने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा</p>	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-	लागू नहीं होता।

	हो सकने पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर	<p>अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>बांछनीय:</b> विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की प्रत्यक्ष पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण – अध्यक्ष</p> <p>2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</p> <p>3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</p>	
--	-------------------------------------	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5 निजी सचिव	* 10 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसमें सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) के स्तर 6 में ऐसा आशुलिपिक ग्रेड-I जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <p>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण</p>	लागू नहीं होता।

		<p>द्वारा</p> <p>जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 या समतुल्य आशुलिपिक ग्रेड में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात ग्रेड I में पांच वर्ष की सेवा की हो।</p> <p><b>बांछनीय:</b> विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचार किए जाने के तहत पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>वसूली अधिकरण – अध्यक्ष</p> <p>2. सचिव या पंजीयक, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</p> <p>3. सहायक पंजीयक या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</p>	
--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6 सहायक	* 38 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति प्राप्त लोगों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4 में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो,</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <p>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण – अध्यक्ष</p>	लागू नहीं।

		<p>से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य इसकी नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्र सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</p> <p>3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</p>	
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 लेखा सहायक	* 09 (2018) * कार्यभार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी,—</p> <p>(क) (i) वर्तमान संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करने वाले; अथवा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>(ख) जिसने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान अथवा समकक्ष केन्द्रीय सरकार के किसी भी संस्थान से नकद और लेखा के काम का प्रशिक्षण लिया हो।</p> <p><b>टिप्पण: 1.</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

			होगी। <b>टिप्पण: 2.</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8 आशुलिपिक ग्रेड I	* 19 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4 में आशुलिपिक ग्रेड-2 जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—</p> <p>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण अथवा पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – अध्यक्ष</p> <p>2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण अथवा ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</p> <p>3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण — सदस्य</p>	लागू नहीं होता

			अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9 उच्च श्रेणी लिपिक	* 29 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 4 (25500-81100 रुपए)	अचयन	लागू नहीं होता	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए शून्य	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपए) में स्तर 2 में अवर श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। <b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपए) में स्तर 2 या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात अवर श्रेणी लिपिक जिसने आठ वर्ष सेवा की हो। <b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। <b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण – अध्यक्ष</li> <li>2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> <li>3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता

			केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10 आशुलिपिक ग्रेड II	* 08 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 4 (25500-81100 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पण:</b> आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगा।	(i) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उसके समतुल्य (ii) कौशल परीक्षण की शर्तें श्रुत लेख: 10 मिनट और 80 शब्द प्रति मिनट प्रतिलेखन: 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिन्दी) (मैन्युअल टाइपराइटिंग पर) अथवा 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी) (कंप्यूटर पर)

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण कर रहे हों; अथवा (ii) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए विहित आर्हता रखता हो।	लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण – अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 अवर श्रेणी लिपिक	* 38 (2018)	समूह	स्तर 2 (19900-	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड

	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	'ग'	63200 रुपए)		अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पण:</b> आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगा (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती है, वहां आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तारीख आवेदन की अंतिम तारीख के अनुसार होगा)।	अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबावों के आधार पर प्रत्येक घंटा 10,500 कुंजी दबावों अथवा प्रत्येक घंटा 9000 कुंजी दबावों के तदनु रूप हो)।
--	---	-----	-------------	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
हां	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	(i) 50% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 50% विभागीय अर्हकता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा उसमें असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<b>प्रोन्नति:</b> बहु कार्य कर्मचारिवृंद में से व्यक्ति जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य हों या विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। <b>टिप्पण 1:</b> परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा पैंतालीस वर्ष होगी। <b>टिप्पण 2:</b> केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक छूट दी जाएगी। <b>टिप्पण 3:</b> यदि खंड (ii) के अंतर्गत स्तंभ 10 के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से परीक्षा में उत्तीर्ण ऐसे कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है तो ऐसी अतिरिक्त संख्या वाले कर्मचारियों तदनंतर वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने हेतु विचार किया जाएगा ताकि पूर्व में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो कि बाद की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। <b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के कर्मचारिवृंद में से:— (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (7) के अंतर्गत विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों <b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण – अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य और 3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य	लागू नहीं होता



			<p>विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12 स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	* 05(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 2 (19900-63200 रुपए)	लागू नहीं	<p>18 से 25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख वह होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p> <p>* यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।</p>	<p>(i) मोटर कार के लिए विधि मान्य चालन अनुज्ञापत्र होना चाहिए;</p> <p>(ii) मोटर रचना तंत्र की जानकारी (आवेदक वाहन की छोटी वृत्तियों को दूर करने योग्य होना चाहिए);</p> <p>(iii) मोटर कार के लिए चालन का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव; और</p> <p>(iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।</p> <p><b>वांछनीय:</b> होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सेवा।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती से आने वाले अथवा पुनर्नियोजन वालों हेतु दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति तथा आमेलन जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बलों के कार्मिकों हेतु; प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन	<p><b>प्रतिनियुक्ति तथा आमेलन:</b> ऋण वसूली अपील अधिकरण अथवा ऋण वसूली अधिकरणों के समूह 'ग' के वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 के उन नियमित कर्मचारियों में से मोटर कार चलाने की क्षमता के आकलन हेतु चालन परीक्षा के आधार पर जिनके पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो। इसमें सफल ना होने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में समूह 'ग' के वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 के उन नियमित कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं को पूरा करते हों।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति अथवा सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए पुनर्नियोजन:</b> सशस्त्र बलों के वे कार्मिक जो कि सेवानिवृत्त होने वाले हैं अथवा जिन्हें कि एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विनिर्धारित अर्हताएं हैं, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा उस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाता है तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पंजीयक या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण – अध्यक्ष</li> <li>2. पंजीयक या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> <li>3. वसूली अधिकारी या सहायक पंजीयक, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13 बहु कार्य कर्मचारिवृंद	* 50 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 1 (18000-56900 रुपए)	लागू नहीं होता	<p>18 से 25 वर्ष के बीच</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति</p>	मैट्रिकुलेशन या समतुल्य

					जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	
--	--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण – अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य	लागू नहीं होता

**तीसरी अनुसूची**

(नियम 5 देखें)

क्रम संख्या	पद	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार

**चौथी अनुसूची**

(नियम 6 देखें)

क्रम संख्या	पद	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	केन्द्र सरकार (माननीय वित्त मंत्री)
3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में यथा उपबंधित

[फ़ा. सं. 5/2/2016- डीआरटी]

वीवीएस खड़ायत, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2018

**G.S.R 536(E).**—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), and in supersession of—

- 1) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 2) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 3) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai (Court Master) Recruitment Rules, 2015;
- 4) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 5) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 6) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 7) the Debts Recovery Tribunal, Ernakulam Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 8) the Debts Recovery Tribunal, Ernakulam, (Group 'C' and 'D' posts)(Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 9) the Debts Recovery Tribunal-I, Ernakulam (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 10) the Debts Recovery Tribunal-1, Ernakulam (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 11) the Debts Recovery Tribunal, Ernakulam (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 12) the Debts Recovery Tribunal-2, Ernakulam (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 13) the Debts Recovery Tribunal-2, Ernakulam (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 14) the Debts Recovery Tribunal No.1 Chennai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 15) the Debts Recovery Tribunal, Chennai (Group 'C' and 'D' posts)(Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998;
- 16) the Debts Recovery Tribunal-I, Chennai (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 17) the Debts Recovery Tribunal-1, Chennai (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 18) the Debts Recovery Tribunal-I, Chennai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 19) the Debts Recovery Tribunal No.2 Chennai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 20) the Debts Recovery Tribunal-II Chennai, (Group 'C' and 'D' posts)(Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 21) the Debts Recovery Tribunal-II, Chennai (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 22) the Debts Recovery Tribunal-2, Chennai (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 23) the Debts Recovery Tribunal-2, Chennai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 24) the Debts Recovery Tribunal-III, Chennai (Group 'C' and 'D' posts)(Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2009;
- 25) the Debts Recovery Tribunal-III, Chennai (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 26) the Debts Recovery Tribunal-3, Chennai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 27) the Debts Recovery Tribunal, Madurai (Group 'C' and 'D' posts)(Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2009;
- 28) the Debts Recovery Tribunal, Madurai (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 29) the Debts Recovery Tribunal, Madurai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 30) the Debts Recovery Tribunal, Coimbatore, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2003;
- 31) the Debts Recovery Tribunal, Coimbatore, (Group 'C' and 'D' posts)(Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 32) the Debts Recovery Tribunal, Coimbatore (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;

- 33) the Debts Recovery Tribunal, Coimbatore (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 34) the Debts Recovery Tribunal, Coimbatore (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 35) the Debts Recovery Tribunal, Bangalore Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 36) the Debts Recovery Tribunal, Bangalore, (Group 'C' and 'D' posts)(Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998;
- 37) the Debts Recovery Tribunal-I, Bengaluru (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 38) the Debts Recovery Tribunal-I, Bengaluru (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 39) the Debts Recovery Tribunal, Bengaluru (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016
- 40) the Debts Recovery Tribunal-2, Bengaluru (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 41) the Debts Recovery Tribunal-2, Bengaluru (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017.

except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Group 'A', 'B' and 'C' in the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai, and, Debts Recovery Tribunal, Ernakulam-1, Debts Recovery Tribunal, Ernakulam-2, Debts Recovery Tribunal, Chennai-1, Debts Recovery Tribunal, Chennai-2, Debts Recovery Tribunal, Chennai -3, Debts Recovery Tribunal, Madurai, Debts Recovery Tribunal, Coimbatore, Debts Recovery Tribunal, Bangalore-1 and Debts Recovery Tribunal, Bangalore-2, namely:-

**1. Short Title and Commencement.-** (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai and Debts Recovery Tribunals at Ernakulam, Chennai, Madurai, Coimbatore and Bangalore Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Grade and strength.-** The various grades and the number of posts in each grade in Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai and each Debts Recovery Tribunal under its jurisdiction are as specified in the First Schedule annexed hereto.

**3. Number of post, classification and Level in the pay matrix.-** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of Second Schedule .

**4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters related to the said post shall be specified in columns (5) to (13) of the Second Schedule .

**5. Appointing Authority.-** The Appointing Authority in respect of the post specified under column (2) of the Third Schedule shall be the authority specified in the corresponding entry under column (3) of the said Schedule.

**6. Disciplinary and Appellate Authorities.-** The Disciplinary and Appellate Authorities shall be as specified in the Fourth Schedule attached hereto.

**7. Transfer.-** Every person appointed to the post in Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai, and Debts Recovery Tribunals under its jurisdiction is liable to be transferred within the jurisdiction of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai. Provided that an officer appointed on deputation basis or against encadred posts are not liable to be transferred.

**8. Seniority.-** (1) A common seniority list shall be maintained for each grade for the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai and all the Debts Recovery Tribunals under its jurisdiction.

(2) The seniority shall be fixed as per the orders issued by the Central Government in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel and Training from time to time in this regard.

**9. Disqualifications:-** No person –

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person

shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

10. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

11. **Saving** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### First Schedule

(See Rule 2)

Serial Number	Name of the post	Number of post										Total
		DRAT, Chennai	DRT-1 Bangalore	DRT-2, Bangalore	DRT-1 Chennai	DRT-2 Chennai	DRT-3 Chennai	DRT-Coimbatore	DRT-1 Ernakulam	DRT-2 Ernakulam	DRT Madurai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Registrar	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9
2.	Assistant Registrar	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
3.	Recovery Officer	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
4.	Section Officer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
5.	Private Secretary	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6.	Assistant	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
7.	Accounts Assistant	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
8.	Stenographer Grade-I	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19
9.	Upper Division Clerk	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
10.	Stenographer Grade-II	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	8
11.	Lower Division Clerk	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
12.	Staff Car Driver	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	5
13.	Multi-Tasking Staff	3	7	0	7	7	6	7	7	0	6	50

### Second Schedule

(See rule 3 and 4 )

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age Limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Registrar.	09* (2018)  *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'.	Level 12 (Rs.78800-209200).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	<p>(i) 50% by promotion failing which by deputation;</p> <p>(ii) 50% by deputation.</p>	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Assistant Registrar or Recovery Officer in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>(a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals;</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre of department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent, in the parent cadre or department; or .</p> <p>(b) Officers of the public sector banks,-</p> <p>(i) holding analogous posts in scale V on a regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>(ii) with five years regular service in the post in scale IV in the parent cadre or department;</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Experience in legal or judicial work.</p> <p><b>Note1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson;</p> <p>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member;</p> <p>3. Director, Department of Financial Services - Member.</p> <p>Selection Committee (for considering deputation) consisting of :-</p> <p>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson;</p> <p>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member;</p> <p>3. Director, Department of Financial Services - Member;</p> <p>4. Legal Adviser, Reserve Bank of India - Member.</p>	Not applicable.

			<p>shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	
--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Registrar.	09* (2018)  *subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level 11 (Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>(i) 75% from the Section Officers in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with seven years regular service in the grade; and</p> <p>(ii) 25% from the Private Secretaries in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with seven years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>(a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services -Chairperson;</li> <li>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member;</li> <li>3. Director or Deputy Secretary, (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Member.</li> </ol> <p>Selection Committee (for considering deputation) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson;</li> <li>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) – Member;</li> <li>3. Director or Deputy Secretary, Department of Financial Services - Member;</li> <li>4. Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Member;</li> <li>5. Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India - Member.</li> </ol>	Not applicable.



			<p>level 9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent, in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in Level 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent; and</p> <p>(iv) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent;</p> <p>(b) Officers of the public sector banks,-</p> <p>(i) Scale IV Officers holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) Scale III Officers with five years regular service in the post.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Experience in legal or judicial work.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.Recovery Officer.	18 * (2018)  *subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level 11 (Rs 67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	<p>(a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or equivalent, in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent, in the parent cadre or department; or</p> <p>(iv) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent, in the parent cadre or department;</p> <p>(b) Officers of the public sector banks,-</p> <p>(i) Scale IV Officers holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) Scale III Officers with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post.</p> <p><b>Desirable:</b> Degree in law or having legal experience.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	<p>Selection Committee (for considering deputation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson;</li> <li>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services - Member;</li> <li>3. Director or Deputy Secretary, Department of Financial Services - Member;</li> <li>4. Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Member;</li> <li>5. Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India - Member.</li> </ol>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Section Officer.	10* (2018) *subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 7 (Rs. 44900-142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Assistants in Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals;</p> <p>(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Experience in legal or judicial work.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal -Chairperson;</p> <p>2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal - Member;</p> <p>3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5.Private Secretary.	10 * (2018) *subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 7 (Rs. 44900-142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
----------------------	---	------------	-----------------------------	------------	-----------------	-----------------

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Stenographers Grade I in Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Stenographer Grade I in Level 6 in the pay matrix</p> <p>(Rs. 35400-112400) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Experience in legal or judicial work.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal - Chairperson;</li> <li>2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal - Member;</li> <li>3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.</li> </ol>	Not applicable.

			<p>another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.Assistant.	38 * (2018)  *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs.35400-112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Upper Division Clerks in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Courts or Tribunals,-</p> <p>(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal - Chairperson;</li> <li>2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal - Member;</li> <li>3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal -Member.</li> </ol>	Not applicable.

			including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. <b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.Accounts Assistant.	09* (2018)  *subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs. 35400-112400).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	<p>Officers under the Central Government,-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) who have undergone training in cash and accounts work in Institute of Secretariat Training and Management or equivalent Institute of Central Government</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	Not applicable.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.Stenographer Grade I.	19* (2018)  *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs. 35400-112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Stenographers Grade II in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal - Chairperson;</p>	Not applicable.

		<p>completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	<p>2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal - Member;</p> <p>3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.</p>	
--	--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Upper Division Clerk.	29 * (2018)  *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level 4 (Rs.25500-81100).	Non-selection.	Not applicable.	Degree of a recognized university or equivalent.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruitment. Nil for promotees.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Lower Division Clerk in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal - Chairperson;</p> <p>2.Registrar or Secretary,</p>	Not applicable.

			<p>eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) Lower Division Clerk with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	<p>Debts Recovery Tribunal - Member;</p> <p>3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal - Member.</p>	
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



10.Stenographer Grade II.	* 08 (2018)  *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level 4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.	Between 18 and 27 years  (Relaxable for Government Servant up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12 <sup>th</sup> class pass or equivalent from a recognised Board or University;  (ii) Skill Test Norms:-  Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute  Transcription: 65 minutes (English), 75 minutes (Hindi) (On Manual Typewriter) or 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) (On Computer).
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment through Staff Selection Commission.  <b>Note :</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government,-  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (ii) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-  1. Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal - Chairperson;  2. Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal - Member;  3. Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal - Member.	Not Applicable.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Lower Division Clerk.	38* (2018)  * subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level 2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by Staff Selection Commission (where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).	(i) 12 <sup>th</sup> class or equivalent qualification from a recognised Board or University.  (ii) Typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer.  (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 Key Depressions per Hour or 9000 Key Depressions per Hour on an average of 5 key depressions for each word)

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Yes	Two years for direct recruits.	<p>(i) 50% by direct recruitment through Staff Selection Commission.</p> <p>(ii) 50% by promotion on the basis of a departmental qualifying examination failing which by deputation.</p>	<p><b>Promotion:</b> From amongst Multi-Tasking Staff with three years regular service in the grade and who possess 12<sup>th</sup> class pass or equivalent qualification, on the basis of a departmental qualifying examination.</p> <p><b>Note 1.-</b> The maximum age-limit for appearing in the examination shall be forty five years.</p> <p><b>Note 2.-</b> Relaxable in case of the employees belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p><b>Note 3.-</b> If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) under column 10 qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.</p> <p><b>Deputation:-</b> From amongst staff of Central or State Government or Courts or Tribunals:-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With three years regular service in level-1 (Rs 18000-56900/) in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing educational qualifications as prescribed under column (7) for direct recruits.</p> <p><b>Note 1.-</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2.-</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on date of receipt of applications</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion or confirmation) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrar or Secretary Debts Recovery Appellate Tribunal - Chairperson;</li> <li>2. Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal - Member;</li> <li>3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.</li> </ol>	Not Applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	05* (2018)  *subject to variation dependent on workload	Group 'C'.	Level 2 (Rs.19900-63200).	Not applicable.	<p>Between 18 and 25* years (Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note 1 :</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India ( and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu</p>	<p>(i) Possession of a valid driving licence for motor cars;</p> <p>(ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle);</p> <p>(iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years; and</p> <p>(iv) Pass in 10<sup>th</sup> standard.</p> <p>Desirable: 3 years service as Home Guard or Civil Volunteers.</p> <p><b>Note :</b> The qualification regarding experience is relaxable at the</p>

					and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
					*If the direct recruitment is to be made by direct open competitive Examination, the age-limit would be 18-27 years.	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation or absorption failing which by direct recruitment.  For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.	<p><b>Deputation or absorption:</b></p> <p>From amongst regular Group 'C' employees in Level 1 in the pay matrix (Rs 18000-56900) in Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunals who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from amongst regular Group 'C' employees in Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7).</p> <p><b>Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:</b></p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal - Chairperson;</li> <li>2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal - Member;</li> <li>3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal - Member.</li> </ol>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.Multi-Tasking Staff.	50* (2018)  *subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level 1 (Rs.18000-56900).	Not applicable.	<p>Between 18 and 25 years.</p> <p><b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal</p>	Matriculation or equivalent.

					Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-  1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal - Chairperson;  2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal - Member;  3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal - Member.	Not applicable.

### Third Schedule

(See Rule 5)

Serial Number	Post	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
3.	Group 'A'	Central Government

### Fourth Schedule

(See Rule 6)

Serial Number	Post	Appointing Authority	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal	Central Government (Hon'ble Minister of Finance)
3.	Group 'A'	Central Government	As provided in Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965

[F. No. 5/2/2016-DRT]  
V.V.S KHARAYAT, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 8 जून, 2018

**सा.का.नि. 537(अ).—**केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्नलिखित का अधिकांश करते हुए –

- (1) ऋण वसूली अपील अधिकरण, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (2) ऋण वसूली अपील अधिकरण, दिल्ली, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (3) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली, (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015;
- (4) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (5) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (6) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (7) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, दिल्ली, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (8) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2001;
- (9) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, दिल्ली, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (10) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, दिल्ली, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (11) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, दिल्ली, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (12) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2001;
- (13) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, दिल्ली, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (14) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, दिल्ली, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (15) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, दिल्ली, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (16) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, दिल्ली, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (17) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, दिल्ली, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (18) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2003;
- (19) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, दिल्ली, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (20) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, दिल्ली, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (21) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, दिल्ली, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (22) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2001;
- (23) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (24) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (25) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (26) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (27) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, चण्डीगढ़, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2009;

- (28) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, चण्डीगढ़, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (29) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, चण्डीगढ़, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (30) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, चण्डीगढ़, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (31) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, चण्डीगढ़, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (32) ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (33) ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2001;
- (34) ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (35) ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (36) ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;

केन्द्रीय सरकार, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली और ऋण वसूली अधिकरण, चण्डीगढ़-1, ऋण वसूली अधिकरण, चण्डीगढ़-2, ऋण वसूली अधिकरण, चण्डीगढ़-3, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली-1, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली-2, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली-3 और ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर में समूह 'क', 'ख' और 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली और ऋण वसूली अधिकरण, चण्डीगढ़, दिल्ली और जयपुर भर्ती नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. ग्रेड और संख्या - ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली और उसके अधिकारिता के अंतर्गत प्रत्येक ऋण वसूली अधिकरण में विभिन्न ग्रेड और प्रत्येक ग्रेड में रिक्तियों की संख्या उपाबद्ध पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।
3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान – पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन से उपाबद्ध दूसरी अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो दूसरी अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. नियुक्ति प्राधिकारी - तीसरी अनुसूची के स्तंभ (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) के अंतर्गत तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होगा।
6. अपील प्राधिकारी – अनुशासनात्मक और अपील प्राधिकारी उपाबद्ध संलग्न चौथी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
7. स्थानांतरण – ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली और उसके अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले ऋण वसूली अधिकरणों में पद पर नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थानांतरित किया जा सकता है। परन्तु प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा संवर्गकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त किसी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
8. ज्येष्ठता – (1) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली तथा उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी ऋण वसूली अधिकरणों के लिए प्रत्येक ग्रेड हेतु एक साझी वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी।  
(2) ज्येष्ठता का निर्धारण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के नियत किया जाएगा।
9. निरर्हता - वह व्यक्ति:
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

10. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

11. व्यावृत्ति – इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या								कुल
		डीआरएटी, दिल्ली	डीआरटी-1, चण्डीगढ़	डीआरटी-2, चण्डीगढ़	डीआरटी-3, चण्डीगढ़	डीआरटी-1, दिल्ली	डीआरटी-2, दिल्ली	डीआरटी-3, दिल्ली	डीआरटी, जयपुर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	रजिस्ट्रार	1	1	1	1	1	0	1	1	7
2.	सहायक रजिस्ट्रार	0	1	1	1	1	1	1	1	7
3.	वसूली अधिकारी	0	2	2	2	2	2	2	2	14
4.	अनुभाग अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1	8
5.	निजी सचिव	1	1	1	1	1	1	1	1	8
6.	सहायक	2	4	4	4	4	4	4	4	30
7.	लेखा सहायक	0	1	1	1	1	1	1	1	7
8.	आशुलिपिक ग्रेड-1	1	2	2	2	2	2	2	2	15
9.	उच्च श्रेणी लिपिक	2	3	3	3	3	3	3	3	23
10.	आशुलिपिक ग्रेड-II	1	1	0	1	1	1	1	1	7
11.	अवर श्रेणी लिपिक	2	4	4	4	4	4	4	4	30
12.	स्टाफ कार ड्राईवर	1	1	0	0	1	1	1	1	6
13.	बहु कार्य कर्मचारिवृंद	4	7	6	0	7	7	7	7	45

**दूसरी अनुसूची**  
(नियम 3 और 4 देखें)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है	सीधी भर्ती से आने वालों हेतु आयु-सीमा	सीधी भर्ती से आने वालों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 रजिस्ट्रार	* 07 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 12 (78800-209200 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलेन	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
--	-------------------------------	--	---	--	---

		द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसमें ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में सहायक रजिस्टार या वसूली अधिकारी जिसने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पणी:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता या पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> (क) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारें अथवा न्यायालयों अथवा अभिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) जो विभाग के मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करते हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा (ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी, - (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित सेवा के साथ आधार पर वेतनमान में V सदृश पदधारण करते हों; (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतनमान IV में पद पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ;</p> <p><b>बांछनीय:</b> विधिक अथवा न्यायायिक कार्य का अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष</li> <li>2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य</li> <li>3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य</li> </ol> <p>चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने हेतु) की संरचना निम्नानुसार है:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष</li> <li>2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य</li> <li>3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य</li> <li>4. विधिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 सहायक रजिस्ट्रार	* 07 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसमें ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b></p> <p>(i) श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 में अनुभाग अधिकारियों से 75%; और</p> <p>(ii) श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 में निजी सचिवों से 25%।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपए) में नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के अतिरिक्त मूल संवर्ग या विभाग में या उसके समान पद में स्तर 9 में अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर हो; या</p> <p>(iii) वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) के स्तर 8 या समतुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 6 वर्ष सेवा की हो;</p> <p>(iv) वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 या समतुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>(ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी-</p> <p>(i) स्केल-IV के अधिकारी जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण कर रहे हों;</p> <p>(ii) स्केल-III के अधिकारी जिसने पद में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त सचिव,</li> </ol> <p>(ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. पीठासीन अधिकारी,</li> </ol> <p>ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाए) – सदस्य</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. निदेशक या उप सचिव,</li> </ol> <p>(ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य</p> <p>चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त सचिव,</li> </ol> <p>(ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. पीठासीन अधिकारी,</li> </ol> <p>ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाए) – सदस्य</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. निदेशक या उप सचिव,</li> </ol> <p>वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. निदेशक या उप सचिव,</li> </ol> <p>(ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5 संयुक्त विधिक सलाहकार,</li> </ol> <p>भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य</p>	लागू नहीं होता

			<b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 वसूली अधिकारी	* 14 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपए) स्तर 9 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) स्तर 8 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी-</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करने वाले स्केल-IV अधिकारी; या</p> <p>(ii) पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में स्केल-III अधिकारी जिन्होंने पांच वर्ष सेवा की है।</p> <p><b>वांछनीय:</b> विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>संयुक्त सचिव,</li> <li>(ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष</li> <li>पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाए) - सदस्य</li> <li>निदेशक या उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य</li> <li>निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य</li> <li>संयुक्त विधिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4 अनुभाग अधिकारी	* 08 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा	<b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 में ऐसे	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं

होता	जिसमें सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर	<p>सहायकों ने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>बांछनीय:</b> विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की प्रत्यक्ष पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण - अध्यक्ष</li> <li>2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> <li>3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> </ol>	होता
------	---	---	--	------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5 निजी सचिव	* 08 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसमें सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) के स्तर 6 में ऐसा आशुलिपिक ग्रेड-I जिसने श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण - अध्यक्ष</li> <li>2. सचिव या पंजीयक, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> <li>3. सहायक पंजीयक या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता

		<p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 या समतुल्य आशुलिपिक ग्रेड में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात ग्रेड। में पांच वर्ष की सेवा की हो।</p> <p><b>बांझनीय:</b> विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचार किए जाने के तहत पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6 सहायक	* 30 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति प्राप्त लोगों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4 में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्र सरकार के इसी अथवा</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण – अध्यक्ष</li> <li>2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> <li>3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं

		<p>किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 लेखा सहायक	* 07 (2018) * कार्यभार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी,-</p> <p>(क) (i) वर्तमान संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करने वाले; अथवा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>(ख) जिसने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान अथवा समकक्ष केन्द्रीय सरकार के किसी भी संस्थान से नकद और लेखा के काम का प्रशिक्षण लिया हो।</p> <p><b>टिप्पण: 1.</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण: 2.</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8 आशुलिपिक ग्रेड।	* 15 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4 में आशुलिपिक ग्रेड-2 जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा वशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण अथवा पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण - अध्यक्ष</li> <li>2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण अथवा ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> <li>3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता

		<p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9 उच्च श्रेणी लिपिक	* 23 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 4 (25500-81100 रुपए)	अचयन	लागू नहीं होता	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए शून्य	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपए) में स्तर 2 में अवर श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपए) में स्तर 2 या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात अवर</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण - अध्यक्ष</li> <li>2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> <li>3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता

		<p>श्रेणी लिपिक जिसने आठ वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10 आधुनिक श्रेड II	* 07 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 4 (25500-81100 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पण:</b> आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगा।	(i) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उसके समतुल्य (ii) कौशल परीक्षण की शर्तें श्रुत लेख: 10 मिनट और 80 शब्द प्रति मिनट प्रतिलेखन: 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिन्दी) (मैन्युअल टाइपराइटिंग पर) अथवा 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी) (कंप्यूटर पर)

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण कर रहे हों; अथवा (ii) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए विहित आर्हता रखता हो।	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण - अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 अवर श्रेणी लिपिक	* 30 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 2 (19900-63200 रुपए)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा

					<p><b>टिप्पण:</b> आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगा (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती है, वहां आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तारीख आवेदन की अंतिम तारीख के अनुसार होगा)।</p>	<p>हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबावों के आधार पर प्रत्येक घंटा 10,500 कुंजी दबावों अथवा प्रत्येक घंटा 9000 कुंजी दबावों के तदनु रूप हो)।</p>
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
हां	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	<p>(i) 50% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;</p> <p>(ii) 50% विभागीय अर्हता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा उसमें असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p><b>प्रोन्नति:</b> बहु कार्य कर्मचारिवृंद में से व्यक्ति जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य हों या विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा पैंतालीस वर्ष होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक छूट दी जाएगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> यदि खंड (ii) के अंतर्गत स्तंभ 10 के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से परीक्षा में उत्तीर्ण ऐसे कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है तो ऐसी अतिरिक्त संख्या वाले कर्मचारियों तदनंतर वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने हेतु विचार किया जाएगा ताकि पूर्व में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो कि बाद की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के कर्मचारिवृंद में से:-</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (7) के अंतर्गत विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण - अध्यक्ष</li> <li>2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य और</li> <li>3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12 स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	<p>* 06 (2018)</p> <p>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p>	समूह 'ग'	स्तर 2 (19900-63200 रुपए)	लागू नहीं	<p>18 से 25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख</p>	<p>(i) मोटर कार के लिए विधि मान्य चालन अनुज्ञापत्र होना चाहिए;</p> <p>(ii) मोटर रचना तंत्र की जानकारी (आवेदक वाहन की छोटी त्रुटियों को दूर करने</p>



					<p>भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख वह होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p> <p>* यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।</p>	<p>योग्य होना चाहिए);</p> <p>(iii) मोटर कार के लिए चालन का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव; और</p> <p>(iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।</p> <p><b>वांछनीय:</b> होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सेवा।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती से आने वाले अथवा पुनर्नियोजन वालों हेतु दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति तथा आमेलन जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p><b>प्रतिनियुक्ति तथा आमेलन:</b></p> <p>ऋण वसूली अपील अधिकरण अथवा ऋण वसूली अधिकरणों के समूह 'ग' के वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 के उन नियमित कर्मचारियों में से मोटर कार चलाने की क्षमता के आकलन हेतु चालन परीक्षा के आधार पर जिनके पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो। इसमें सफल ना होने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में समूह 'ग' के वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 के उन नियमित कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं को पूरा करते हों।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति अथवा सशस्त्र बल कर्मिकों के लिए पुनर्नियोजन:</b></p> <p>सशस्त्र बलों के वे कर्मिक जो कि सेवानिवृत्त होने वाले हैं अथवा जिन्हें कि एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विनिर्धारित अर्हताएं हैं, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा उस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाता है तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पंजीयक या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण - अध्यक्ष</li> <li>2. पंजीयक या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> <li>3. वसूली अधिकारी या सहायक पंजीयक, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं

			इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13 वह कार्य कर्मचारिवृंद	* 45 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 1 (18000-56900 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच <b>टिप्पण 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	मैट्रिकुलेशन या समतुल्य

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण – अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य	लागू नहीं होता

तीसरी अनुसूची  
(नियम 5 देखें)

क्रम संख्या	पद	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार

चौथी अनुसूची  
(नियम 6 देखें)

क्रम संख्या	पद	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	केन्द्र सरकार (माननीय वित्त मंत्री)

3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में यथा उपबन्धित
----	----------	---------------	--

[फ़ा. सं. 5/2/2016- डीआरटी]

बी. बी. एस. खड्गायत, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th June, 2018

**G.S.R. 537(E).**—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), and in supersession of-

- (1) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- (2) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- (3) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, (Court Master) Recruitment Rules, 2015;
- (4) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- (5) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi (Lower Division Clerk), Recruitment Rules, 2017;
- (6) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi (Stenographer Grade II), Recruitment Rules, 2017;
- (7) the Debts Recovery Tribunal, Delhi, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998;
- (8) the Debts Recovery Tribunal, No.1, Delhi Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- (9) the Debts Recovery Tribunal-1, Delhi (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- (10) the Debts Recovery Tribunal- I, Delhi (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- (11) the Debts Recovery Tribunal-1, Delhi (Stenographer Grade II), Recruitment Rules, 2017;
- (12) the Debts Recovery Tribunal, No. 2 Delhi Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts recruitment Rules, 2001;
- (13) the Debts Recovery Tribunal, No. II Delhi, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted), Recruitment Rules, 2002;
- (14) the Debts Recovery Tribunal-2, Delhi (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- (15) the Debts Recovery Tribunal-II, Delhi (Lower Division Clerk), Recruitment Rules, 2017;
- (16) the Debts Recovery Tribunal-2, Delhi (Stenographer Grade II), Recruitment Rules, 2017;
- (17) the Debts Recovery Tribunal-III Delhi, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted), Recruitment Rules, 2002;
- (18) the Debts Recovery Tribunal-III, Delhi, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2003;
- (19) the Debts Recovery Tribunal-3, Delhi (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- (20) the Debts Recovery Tribunal-III, Delhi (Lower Division Clerk), Recruitment Rules, 2017;
- (21) the Debts Recovery Tribunal-3, Delhi (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- (22) the Debts Recovery Tribunal, Chandigarh, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- (23) the Debts Recovery Tribunal, Chandigarh, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- (24) the Debts Recovery Tribunal-1, Chandigarh (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- (25) the Debts Recovery Tribunal-I, Chandigarh (Lower Division Clerk), Recruitment Rules, 2017;
- (26) the Debts Recovery Tribunal-1, Chandigarh (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;

- (27) the Debts Recovery Tribunal-II, Chandigarh (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2009;
- (28) the Debts Recovery Tribunal-2, Chandigarh (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- (29) the Debts Recovery Tribunal-II, Chandigarh (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- (30) the Debts Recovery Tribunal-3, Chandigarh (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- (31) the Debts Recovery Tribunal-3, Chandigarh (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- (32) the Debts Recovery Tribunal, Jaipur (Group 'C and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998;
- (33) the Debts Recovery Tribunal, Jaipur, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- (34) the Debts Recovery Tribunal, Jaipur (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- (35) the Debts Recovery Tribunal, Jaipur (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- (36) the Debts Recovery Tribunal, Jaipur (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017.

except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Group 'A', 'B' and 'C' in the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, and, Debts Recovery Tribunal, Chandigarh-1, Debts Recovery Tribunal, Chandigarh-2, Debts Recovery Tribunal, Chandigarh-3, Debts Recovery Tribunal, Delhi-1, Debts Recovery Tribunal, Delhi-2, Debts Recovery Tribunal, Delhi-3, and Debts Recovery Tribunal, Jaipur, namely:-

**1. Short Title and Commencement.-** (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi and Debts Recovery Tribunals at Chandigarh, Delhi and Jaipur Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Grade and strength.-** The various grades and the number of posts in each grade in Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi and each Debts Recovery Tribunal under its jurisdiction are as specified in the First Schedule annexed hereto.

**3. Number of post, classification and Level in the pay matrix.-** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of Second Schedule .

**4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters related to the said post shall be specified in columns (5) to (13) of the Second Schedule .

**5. Appointing Authority.-** The Appointing Authority in respect of the post specified under column (2) of the Third Schedule shall be the authority specified in the corresponding entry under column (3) of the said Schedule.

**6. Disciplinary and Appellate Authorities.-** The Disciplinary and Appellate Authorities shall be as specified in the Fourth Schedule attached hereto.

**7. Transfer.-** Every person appointed to the post in Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, and Debts Recovery Tribunals under its jurisdiction is liable to be transferred within the jurisdiction of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi. Provided that an officer appointed on deputation basis or against encadred posts are not liable to be transferred.

**8. Seniority.-** (1) A common seniority list shall be maintained for each grade for the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi and all the Debts Recovery Tribunals under its jurisdiction.

2. The seniority shall be fixed as per the orders issued by the Central Government in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel and Training from time to time in this regard.

**9. Disqualifications:-** No person –

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person

shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**10. Power to relax -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

11. **Saving** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

First Schedule  
(See Rule 2)

Serial Number	Name of the post	Number of post								Total
		DRAT, Delhi	DRT-1, Chandigarh	DRT-2, Chandigarh	DRT-3, Chandigarh	DRT-1, Delhi	DRT-2, Delhi	DRT-3, Delhi	DRT, Jaipur	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Registrar	1	1	1	1	1	0	1	1	7
2.	Assistant Registrar	0	1	1	1	1	1	1	1	7
3.	Recovery Officer	0	2	2	2	2	2	2	2	14
4.	Section Officer	1	1	1	1	1	1	1	1	8
5.	Private Secretary	1	1	1	1	1	1	1	1	8
6.	Assistant	2	4	4	4	4	4	4	4	30
7.	Accounts Assistant	0	1	1	1	1	1	1	1	7
8.	Stenographer Grade-I	1	2	2	2	2	2	2	2	15
9.	Upper Division Clerk	2	3	3	3	3	3	3	3	23
10.	Stenographer Grade-II	1	1	0	1	1	1	1	1	7
11.	Lower Division Clerk	2	4	4	4	4	4	4	4	30
12.	Staff Car Driver	1	1	0	0	1	1	1	1	6
13.	Multi-Tasking Staff	4	7	6	0	7	7	7	7	45

Second Schedule  
(See rule 3 and 4 )

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age Limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Registrar.	07* (2018) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'.	Level 12 (Rs.78800-209200).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	(i) 50% by promotion failing which by deputation;  (ii) 50% by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Assistant Registrar or Recovery Officer in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>(a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals;            (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre of department; or            (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or            equivalent, in the parent cadre or department; or .            (b) Officers of the public sector banks,—            (i) holding analogous posts in scale V on a regular basis in the parent cadre or department;            (ii) with five years regular service in the post in scale IV in the parent cadre or department;</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services -Chairperson;</li> <li>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member;</li> <li>3. Director, Department of Financial Services - Member.</li> </ol> <p>Selection Committee (for considering deputation) consisting of :—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services -Chairperson;</li> <li>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member;</li> <li>3. Director, Department of Financial Services - Member;</li> <li>4. Legal Adviser, Reserve Bank of India - Member.</li> </ol>	Not applicable.

			<p><b>Desirable:</b></p> <p>Experience in legal or judicial work.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Registrar.	07* (2018) *subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level 11 (Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>(i) 75% from the Section Officers in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with seven years regular service in the grade; and</p> <p>(ii) 25% from the Private Secretaries in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with seven years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson;</p> <p>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member;</p> <p>3. Director or Deputy Secretary, (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Member.</p> <p>Selection Committee (for considering deputation) consisting of :—</p> <p>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson;</p>	Not applicable.

		<p><b>Deputation:</b></p> <p>(a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,—</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent, in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in Level 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent; and</p> <p>(iv) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent;</p> <p>(b) Officers of the public sector banks,—</p> <p>(i) Scale IV Officers holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) Scale III Officers with five years regular service in the post.</p> <p><b>Desirable:</b> Experience in legal or judicial work.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of application.</p>	<p>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) — Member;</p> <p>3. Director or Deputy Secretary, Department of Financial Services — Member;</p> <p>4. Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services — Member;</p> <p>5. Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India — Member.</p>	
--	--	--	---	--



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.Recovery Officer.	14 * (2018) *subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level 11 (Rs 67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	<p>(a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or equivalent, in the parent cadre or department;or</p> <p>(iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent, in the parent cadre or department;or</p> <p>(iv)with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent, in the parent cadre or department;</p> <p>(b) Officers of the public sector banks,-</p> <p>(i) Scale IV Officers holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;or</p> <p>(ii) Scale III Officers with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post.</p> <p><b>Desirable:</b> Degree in law or having legal experience.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p>	<p>Selection Committee (for considering deputation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson;</li> <li>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services - Member;</li> <li>3. Director or Deputy Secretary, Department of Financial Services - Member;</li> <li>4 .Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Member;</li> <li>5. Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India - Member.</li> </ol>	Not applicable.

			<b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Section Officer.	08 * (2018) *subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 7 (Rs. 44900-142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Assistants in Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals;</p> <p>(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Experience in legal or judicial work.</p> <p><b>Note1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal -Chairperson;</li> <li>2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal - Member;</li> <li>3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.</li> </ol>	Not applicable.

			<p>preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.Private Secretary.	08 * (2018) *subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 7 (Rs. 44900-142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Stenographers Grade I in Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Stenographer Grade I in Level 6 in the pay matrix(Rs. 35400-112400) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Experience in legal or judicial work.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal - Chairperson;</li> <li>2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal - Member;</li> <li>3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.</li> </ol>	Not applicable.

			<p>eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.Assistant.	30 * (2018)  *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs.35400-112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Upper Division Clerks in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Courts or Tribunals,-</p> <p>(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal - Chairperson;</li> <li>Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal - Member;</li> <li>Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal -Member.</li> </ol>	Not applicable.

			<p>regular basis in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.Accounts Assistant.	07* (2018) *subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs. 35400-112400).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	<p>Officers under the Central Government,-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) who have undergone training in cash and accounts work in Institute of Secretariat Training and Management or equivalent Institute of Central Government.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of</p>	Not applicable.	Not applicable.

			applications.		
--	--	--	---------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.Stenographer Grade I.	15* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs. 35400-112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b> Stenographers Grade II in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal - Chairperson;</li> <li>2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal - Member;</li> <li>3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.</li> </ol>	Not applicable.

			applications.		
--	--	--	---------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Upper Division Clerk.	23 * (2018) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level 4 (Rs.25500-81100).	Non-selection.	Not applicable.	Degree of a recognized university or equivalent.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruitment. Nil for promotees.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b> Lower Division Clerk in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) Lower Division Clerk with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—</p> <p>1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal —Chairperson;</p> <p>2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal —Member;</p> <p>3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal —Member.</p>	Not applicable.

			closing last date of receipt of applications.		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Stenographer Grade II.	* 07 (2018) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level 4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.	Between 18 and 27 years  (Relaxable for Government Servant upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12 <sup>th</sup> class pass or equivalent from a recognised Board or University;  (ii) Skill Test Norms:-  Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute  Transcription: 65 minutes (English), 75 minutes (Hindi) (On Manual Typewriter) or 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) (On Computer).

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment through Staff Selection Commission.  <b>Note :</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (ii) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-  1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal - Chairperson;  2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal - Member;  3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal - Member.	Not Applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Lower Division Clerk.	30* (2018) * subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level 2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	(i) 12 <sup>th</sup> class or equivalent qualification from a recognised Board or University.  (ii) Typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on



					<p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by Staff Selection Commission (where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).</p>	<p>computer.</p> <p>(35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 Key Depressions per Hour or 9000 Key Depressions per Hour on an average of 5 key depressions for each word)</p>
--	--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Yes	Two years for direct recruits.	<p>(i) 50% by direct recruitment through Staff Selection Commission.</p> <p>(ii) 50% by promotion on the basis of a departmental qualifying examination failing which by deputation.</p>	<p><b>Promotion:</b></p> <p>From amongst Multi-Tasking Staff with three years regular service in the grade and who possess 12<sup>th</sup> class pass or equivalent qualification, on the basis of a departmental qualifying examination.</p> <p><b>Note1.-</b> The maximum age-limit for appearing in the examination shall be forty five years.</p> <p><b>Note 2.-</b> Relaxable in case of the employees belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p><b>Note 3.-</b> If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) under column 10 qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.</p> <p><b>Deputation:-</b></p> <p>From amongst staff of Central</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion or confirmation) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrar or Secretary Debts Recovery Appellate Tribunal - Chairperson;</li> <li>2. Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal - Member;</li> <li>3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.</li> </ol>	Not Applicable.

			<p>or State Government or Courts or Tribunals:-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) With three years regular service in level-1 (Rs 18000-56900/) in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing educational qualifications as prescribed under column (7) for direct recruits</p> <p><b>Note1.-</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2.-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. Staff Car Driver (Ordinary Grade.	06* (2018) *subject to variation dependent on workload	Group 'C'.	Level 2 (Rs.19900-63200).	Not applicable	<p>Between 18 and 25* years (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note 1 :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India ( and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>*If the direct recruitment is to</p>	<p>(i) Possession of a valid driving licence for motor cars;</p> <p>(ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle);</p> <p>(iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years; and</p> <p>(iv) Pass in 10<sup>th</sup> standard.</p> <p>Desirable: 3 years service as Home Guard or Civil Volunteers.</p> <p><b>Note :</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that</p>

					be made by direct open competitive Examination, the age limit would be 18-27 years.	sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	---	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation or absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.	<p><b>Deputation or absorption:</b> From amongst regular Group 'C' employees in Level 1 in the pay matrix (Rs 18000-56900) in Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunals who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from amongst regular Group 'C' employees in Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7).</p> <p><b>Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:</b>  The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal - Chairperson; 2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal - Member; 3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.Multi-Tasking Staff.	45* (2018) *subject to variation dependent on	Group 'C'.	Level 1 (Rs.18000-56900).	Not applicable.	Between 18 and 25 years.  <b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for	Matriculation or equivalent.

	workload.				receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	
--	-----------	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal - Chairperson; 2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal - Member; 3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal - Member.	Not applicable.

**Third Schedule**  
(See Rule 5)

Serial Number	Post	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
3.	Group 'A'	Central Government

**Fourth Schedule**  
(See Rule 6)

Serial Number	Post	Appointing Authority	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal	Central Government (Hon'ble Minister of Finance)
3.	Group 'A'	Central Government	As provided in Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965

[F.No. 5/2016-DRT]

V.V.S. KHARAYAT, Under Secy.

**वित्त मंत्रालय**  
**(वित्तीय सेवाएं विभाग)**  
**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 8 जून, 2018

**सा.का.नि. 538(अ).—** केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्नलिखित का अधिकांश करते हुए -

- (1) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (2) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (3) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता, (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015;
- (4) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (5) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (6) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (7) ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (8) ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (9) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, हैदराबाद, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (10) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, हैदराबाद, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (11) ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (12) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, हैदराबाद, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (13) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, हैदराबाद, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (14) ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (15) ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (16) ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (17) ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (18) ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (19) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (20) ऋण वसूली अधिकरण, कोलकाता, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (21) ऋण वसूली अधिकरण नं.स 1, कोलकाता, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (22) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, कोलकाता, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (23) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, कोलकाता, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (24) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (25) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, कोलकाता, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (26) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, कोलकाता, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (27) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, कोलकाता, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (28) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, कोलकाता, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;

- (29) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003;
- (30) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, कोलकाता, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (31) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, कोलकाता, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (32) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, कोलकाता, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (33) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, कोलकाता, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (34) ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापट्टनम, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003;
- (35) ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापट्टनम, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (36) ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापट्टनम, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (37) ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापट्टनम, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (38) ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापट्टनम, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (39) ऋण वसूली अधिकरण, सिलीगुड़ी, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (40) ऋण वसूली अधिकरण, सिलीगुड़ी, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (41) ऋण वसूली अधिकरण, कटक, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (42) ऋण वसूली अधिकरण, कटक, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (43) ऋण वसूली अधिकरण, कटक, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (44) ऋण वसूली अधिकरण, कटक, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (45) ऋण वसूली अधिकरण, कटक, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;

केन्द्रीय सरकार, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता और ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद-1, ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद-2, ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी, ऋण वसूली अधिकरण, कोलकाता-1, ऋण वसूली अधिकरण, कोलकाता-2, ऋण वसूली अधिकरण, कोलकाता-3, ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापट्टनम, ऋण वसूली अधिकरण, सिलीगुड़ी और ऋण वसूली अधिकरण, कटक में समूह 'क', 'ख' और 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता और ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, विशाखापट्टनम, सिलीगुड़ी और कटक भर्ती नियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **ग्रेड और संख्या** - ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता और उसके अधिकारिता के अंतर्गत प्रत्येक ऋण वसूली अधिकरण में विभिन्न ग्रेड और प्रत्येक ग्रेड में रिक्तियों की संख्या उपाबद्ध पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।
3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** – पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन से उपाबद्ध दूसरी अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो दूसरी अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **नियुक्ति प्राधिकारी** - तीसरी अनुसूची के स्तंभ (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) के अंतर्गत तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होगा।
6. **अपील प्राधिकारी** – अनुशासनात्मक और अपील प्राधिकारी उपाबद्ध संलग्न चौथी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
7. **स्थानांतरण** – ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता और उसके अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले ऋण वसूली अधिकरणों में पद पर नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थानांतरित किया जा सकता है। परन्तु प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा संवर्गीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त किसी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
8. **ज्येष्ठता** – (1) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता तथा उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी ऋण वसूली अधिकरणों के लिए प्रत्येक ग्रेड हेतु एक साझी वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी।

(2) ज्येष्ठता का निर्धारण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के नियत किया जाएगा।

**9. निरर्हता - वह व्यक्ति:**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**10. शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**11. व्यावृत्ति** – इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**पहली अनुसूची  
(नियम 2 देखें)**

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या										कुल
		डीआरटी, कोलकाता	डीआरटी, कटक	डीआरटी, गुवाहाटी	डीआरटी-1, कोलकाता	डीआरटी-2, कोलकाता	डीआरटी-3, कोलकाता	डीआरटी-1, हैदराबाद	डीआरटी-2, अहमदाबाद	डीआरटी, सिलीगुड़ी	डीआरटी, विशाखापट्टनम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	रजिस्ट्रार	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
2.	सहायक रजिस्ट्रार	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
3.	बसूली अधिकारी	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
4.	अनुभाग अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
5.	निजी सचिव	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6.	सहायक	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
7.	लेखा सहायक	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
8.	आशुलिपिक ग्रेड-1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19
9.	उच्च श्रेणी लिपिक	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
10.	आशुलिपिक ग्रेड-II	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
11.	अवर श्रेणी लिपिक	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
12.	स्टाफ कार ड्राईवर	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	8
13.	बहु कार्य कर्मचारिवृंद	4	7	7	7	7	7	7	0	0	7	53

**दूसरी अनुसूची**  
(नियम 3 और 4 देखें)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है	सीधी भर्ती से आने वालों हेतु आयु-सीमा	सीधी भर्ती से आने वालों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. रजिस्ट्रार	* 10 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 12 (78800-209200 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसमें ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा	<b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी जिसने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। <b>टिप्पणी:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। <b>प्रतिनियुक्ति:</b> (क) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारें अथवा न्यायालयों अथवा अभिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) जो विभाग के मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करते हैं; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा (ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी,-	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य 3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने हेतु) की संरचना निम्नानुसार है: 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य 3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं	लागू नहीं होता



		<p>(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित सेवा के साथ आधार पर वेतनमान में V सदृश पदधारण करते हों;</p> <p>(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतनमान IV में पद पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ;</p> <p><b>बांछनीय:</b> विधिक अथवा न्यायायिक कार्य का अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को दृष्टिपूर्व वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभाग – सदस्य</p> <p>4. विधिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक – सदस्य</p>	
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सहायक रजिस्ट्रार	* 09 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसमें ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b></p> <p>(i) श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 में अनुभाग अधिकारियों से 75%; और</p> <p>(ii) श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 में निजी सचिवों से 25%।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपए) में नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के अतिरिक्त मूल संवर्ग या विभाग में या उसके समान पद में स्तर 9 में अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर हो; या</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष</li> <li>पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाए) – सदस्य</li> <li>निदेशक या उप सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य</li> </ol> <p>चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष</li> <li>पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय</li> </ol>	लागू नहीं होता

		<p>(iii) वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) के स्तर 8 या समतुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 6 वर्ष सेवा की हो;</p> <p>(iv) वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 या समतुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>(ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी-</p> <p>(i) स्केल-IV के अधिकारी जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण कर रहे हों;</p> <p>(ii) स्केल-III के अधिकारी जिसने पद में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>बांछनीय:</b> विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाए) - सदस्य</p> <p>3. निदेशक या उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य</p> <p>4. निदेशक या उप सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य</p> <p>5 संयुक्त विधिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य</p>	
--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. वसूली अधिकारी	* 18 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपए) स्तर 9 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) स्तर 8 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी-</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करने वाले स्केल-IV अधिकारी; या</p>	<p>चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <p>1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष</p> <p>2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाए) - सदस्य</p> <p>3. निदेशक या उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य</p> <p>4. निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य</p> <p>5. संयुक्त विधिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य</p>	लागू नहीं

		<p>(ii) पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में स्केल-III अधिकारी जिन्होंने पांच वर्ष सेवा की है।</p> <p><b>बांछनीय:</b> विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. अनुभाग अधिकारी	* 10 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसमें सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 में ऐसे सहायकों ने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>बांछनीय:</b> विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की प्रत्यक्ष पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण – अध्यक्ष</li> <li>2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> <li>3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. निजी सचिव	* 10 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसमें सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) के स्तर 6 में ऐसा आशुलिपिक ग्रेड-1 जिसने श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 या समतुल्य आशुलिपिक ग्रेड में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात ग्रेड 1 में पांच वर्ष की सेवा की हो।</p> <p><b>बांझनीय:</b> विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचार किए जाने के तहत पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण – अध्यक्ष</li> <li>2. सचिव या पंजीयक, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> <li>3. सहायक पंजीयक या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. सहायक	* 38 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति प्राप्त लोगों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4 में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्र सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण - अध्यक्ष</li> <li>2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> <li>3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. लेखा सहायक	* 09 (2018) * कार्यभार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी,-</p> <p>(क) (i) वर्तमान संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करने वाले; अथवा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>(ख) जिसने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान अथवा समकक्ष केन्द्रीय सरकार के किसी भी संस्थान से नकद और लेखा के काम का प्रशिक्षण लिया हो।</p> <p><b>टिप्पण: 1.</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

			<b>टिप्पण: 2.</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. आशुलिपिक ग्रेड।	* 19 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4 में आशुलिपिक ग्रेड-2 जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण अथवा पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – अध्यक्ष</li> <li>2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण अथवा ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> <li>3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. उच्च श्रेणी लिपिक	* 29 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 4 (25500-81100 रुपए)	अचयन	लागू नहीं होता	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए शून्य	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपए) में स्तर 2 में अवर श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपए) में स्तर 2 या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात अवर श्रेणी लिपिक जिसने आठ वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण - अध्यक्ष</li> <li>2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> <li>3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. आशुलिपिक ग्रेड II	* 10 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 4 (25500-81100 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	(i) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उसके समतुल्य (ii) कौशल परीक्षण की शर्तें श्रुत लेख: 10 मिनट और 80 शब्द प्रति मिनट

					<b>टिप्पण:</b> आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगा।	प्रतिलेखन: 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिन्दी) (मैन्युअल टाइपराइटिंग पर) अथवा 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी) (कंप्यूटर पर)
--	--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण कर रहे हों; अथवा (ii) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए विहित अर्हता रखता हो।	लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण - अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. अवर श्रेणी लिपिक	* 38 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 2 (19900-63200 रुपए)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पण:</b> आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगा (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती है, वहां आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तारीख आवेदन की अंतिम तारीख के अनुसार होगा)।	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबावों के आधार पर प्रत्येक घंटा 10,500 कुंजी दबावों अथवा प्रत्येक घंटा 9000 कुंजी दबावों के तदनु रूप हो)।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
हां	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	(i) 50% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 50% विभागीय अर्हता के आधार पर प्रोन्नति	<b>प्रोन्नति:</b> वहु कार्य कर्मचारिवृंद में से व्यक्ति जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य हों या विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। <b>टिप्पण 1:</b> परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा पैंतालीस वर्ष होगी। <b>टिप्पण 2:</b> केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक छूट दी जाएगी। <b>टिप्पण 3:</b> यदि खंड (ii) के अंतर्गत स्तंभ 10 के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से परीक्षा में उत्तीर्ण ऐसे कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है तो ऐसी	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण - अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य और 3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता



		<p>द्वारा उसमें असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p> <p>अतिरिक्त संख्या वाले कर्मचारियों तदनंतर वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने हेतु विचार किया जाएगा ताकि पूर्व में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो कि बाद की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के कर्मचारिवृंद में से:-</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (7) के अंतर्गत विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	* 08 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 2 (19900-63200 रुपए)	लागू नहीं	<p>18 से 25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख वह होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p> <p>* यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।</p>	<p>(i) मोटर कार के लिए विधि मान्य चालन अनुज्ञापत्र होना चाहिए;</p> <p>(ii) मोटर रचना तंत्र की जानकारी (आवेदक वाहन की छोटी त्रुटियों को दूर करने योग्य होना चाहिए);</p> <p>(iii) मोटर कार के लिए चालन का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव; और</p> <p>(iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।</p> <p><b>वांछनीय:</b> होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सेवा।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए</p>

						आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती से आने वाले अथवा पुनर्नियोजन वालों हेतु दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति तथा आमेलन जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बलों के कार्मिकों हेतु; प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन	<p><b>प्रतिनियुक्ति तथा आमेलन:</b> ऋण वसूली अपील अधिकरण अथवा ऋण वसूली अधिकरणों के समूह 'ग' के वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 के उन नियमित कर्मचारियों में से मोटर कार चलाने की क्षमता के आकलन हेतु चालन परीक्षा के आधार पर जिनके पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो। इसमें सफल ना होने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में समूह 'ग' के वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 के उन नियमित कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं को पूरा करते हों।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति अथवा सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए पुनर्नियोजन:</b> सशस्त्र बलों के वे कार्मिक जो कि सेवानिवृत्त होने वाले हैं अथवा जिन्हें कि एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विनिर्धारित अर्हताएं हैं, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा उस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाता है तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पंजीयक या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण - अध्यक्ष</li> <li>2. पंजीयक या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> <li>3. वसूली अधिकारी या सहायक पंजीयक, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. बहु कार्य कर्मचारिवृंद	* 53 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 1 (18000-56900 रुपए)	लागू नहीं होता	<p>18 से 25 वर्ष के बीच</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p>	मैट्रिकुलेशन या समतुल्य

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण - अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता

तीसरी अनुसूची  
(नियम 5 देखें)

क्रम संख्या	पद	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार

चौथी अनुसूची  
(नियम 6 देखें)

क्रम संख्या	पद	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	केन्द्र सरकार (माननीय वित्त मंत्री)
3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में यथा उपबंधित

[फा. सं. 5/2/2016- डीआरटी]

वीवीएस खड़ायत, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Financial Services)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th June, 2018

**G.S.R. 538(E).**—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), and in supersession of-

- 1) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata, Groups 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 2) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;

- 3) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata (Court Master) Recruitment Rules, 2015;
- 4) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 5) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata (Stenographer Grade-II) Recruitment Rules, 2017;
- 6) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 7) the Debts Recovery Tribunal, Hyderabad Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- 8) the Debts Recovery Tribunal, Hyderabad, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 9) the Debts Recovery Tribunal-I, Hyderabad (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 10) the Debts Recovery Tribunal-I, Hyderabad (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 11) the Debts Recovery Tribunal, Hyderabad (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 12) the Debts Recovery Tribunal-2, Hyderabad (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 13) the Debts Recovery Tribunal-2, Hyderabad (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 14) the Debts Recovery Tribunal, Guwahati, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- 15) the Debts Recovery Tribunal, Guwahati, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998;
- 16) the Debts Recovery Tribunal, Guwahati (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 17) the Debts Recovery Tribunal, Guwahati (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 18) the Debts Recovery Tribunal, Guwahati (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 19) the Debts Recovery Tribunal, No.1, Kolkata, Groups 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 20) the Debts Recovery Tribunal, Calcutta, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998;
- 21) the Debts Recovery Tribunal-I, Kolkata (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 22) the Debts Recovery Tribunal-1, Kolkata (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 23) the Debts Recovery Tribunal-1, Kolkata (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 24) the Debts Recovery Tribunal, No.2 Kolkata Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 25) the Debts Recovery Tribunal-II, Kolkata (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 26) the Debts Recovery Tribunal-II, Kolkata (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 27) the Debts Recovery Tribunal-2, Kolkata (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 28) the Debts Recovery Tribunal-2, Kolkata (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 29) the Debts Recovery Tribunal- III, Kolkata Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2003;
- 30) the Debts Recovery Tribunal- III Kolkata (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 31) the Debts Recovery Tribunal-III, Kolkata (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 32) the Debts Recovery Tribunal-3, Kolkata (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 33) the Debts Recovery Tribunal-3, Kolkata (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 34) the Debts Recovery Tribunal, Vishakhapatnam Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2003;
- 35) the Debts Recovery Tribunal, Vishakhapatnam (Group 'C' and 'D' posts)(Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 36) the Debts Recovery Tribunal, Vishakhapatnam (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 37) the Debts Recovery Tribunal, Vishakhapatnam (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 38) the Debts Recovery Tribunal, Vishakhapatnam (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 39) the Debts Recovery Tribunal, Siliguri (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017,
- 40) the Debts Recovery Tribunal, Siliguri (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;

- 41) the Debts Recovery Tribunal, Cuttack, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- 42) the Debts Recovery Tribunal, Cuttack, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 43) the Debts Recovery Tribunal, Cuttack (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 44) the Debts Recovery Tribunal, Cuttack (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 45) the Debts Recovery Tribunal, Cuttack (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016.

except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Group 'A', 'B' and 'C' in the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata, and, Debts Recovery Tribunal, Hyderabad-1, Debts Recovery Tribunal, Hyderabad-2, Debts Recovery Tribunal, Guwahati, Debts Recovery Tribunal, Kolkata-1, Debts Recovery Tribunal, Kolkata -2, Debts Recovery Tribunal, Kolkata-3, Debts Recovery Tribunal, Visakhapatnam, Debts Recovery Tribunal, Siliguri and Debts Recovery Tribunal, Cuttack, namely:-

**1. Short Title and Commencement.-** (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata and Debts Recovery Tribunals at Hyderabad, Guwahati, Kolkata, Visakhapatnam, Siliguri and Cuttack Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Grade and strength.-** The various grades and the number of posts in each grade in Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata and each Debts Recovery Tribunal under its jurisdiction are as specified in the First Schedule annexed hereto.

**3. Number of post, classification and Level in the pay matrix.-** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of Second Schedule .

**4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters related to the said post shall be specified in columns (5) to (13) of the Second Schedule .

**5. Appointing Authority.-** The Appointing Authority in respect of the post specified under column (2) of the Third Schedule shall be the authority specified in the corresponding entry under column (3) of the said Schedule.

**6. Disciplinary and Appellate Authorities.-** The Disciplinary and Appellate Authorities shall be as specified in the Fourth Schedule attached hereto.

**7. Transfer.-** Every person appointed to the post in Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata, and Debts Recovery Tribunals under its jurisdiction is liable to be transferred within the jurisdiction of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata. Provided that an officer appointed on deputation basis or against encadred posts are not liable to be transferred.

**8. Seniority.-** (1) A common seniority list shall be maintained for each grade for the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata and all the Debts Recovery Tribunals under its jurisdiction.

(2) The seniority shall be fixed as per the orders issued by the Central Government in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel and Training from time to time in this regard.

**9. Disqualifications:-** No person –

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person

shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

10. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

11. **Saving** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**First Schedule**  
(See Rule 2)

Serial Number	Name of the post	Number of post										Total
		DRAT, Kolkata	DRT Cuttack	DRT Guwahati	DRT-1 Kolkata	DRT-2 Kolkata	DRT-3 Kolkata	DRT-1 Hyderabad	DRT-2 Hyderabad	DRT Siliguri	DRT Vishakhapatnam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Registrar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
2.	Assistant Registrar	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
3.	Recovery Officer	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
4.	Section Officer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
5.	Private Secretary	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6.	Assistant	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
7.	Accounts Assistant	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
8.	Stenographer Grade-I	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19
9.	Upper Division Clerk	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
10.	Stenographer Grade-II	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
11.	Lower Division Clerk	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
12.	Staff Car Driver	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	8
13.	Multi-Tasking Staff	4	7	7	7	7	7	7	0	0	7	53

**Second Schedule**  
(See rule 3 and 4 )

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age Limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Registrar.	10* (2018)  *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'.	Level 12 (Rs.78800-209200).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	<p>(i) 50% by promotion failing which by deputation;</p> <p>(ii) 50% by deputation.</p>	<p><b>Promotion:</b> Assistant Registrar or Recovery Officer in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade. <b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> (a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals; (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre of department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent, in the parent cadre or department; or (b) Officers of the public sector banks,- (i) holding analogous posts in scale V on a regular basis in the parent cadre or department; (ii) with five years regular service in the post in scale IV in the parent cadre or department;</p> <p><b>Desirable:</b> Experience in legal or judicial work. <b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. <b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. <b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services –Chairperson;</li> <li>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member;</li> <li>3. Director, Department of Financial Services - Member.</li> </ol> <p>Selection Committee (for considering deputation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services –Chairperson;</li> <li>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member;</li> <li>3. Director, Department of Financial Services - Member;</li> <li>4. Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.</li> </ol>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Registrar.	09* (2018)  *subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level 11 (Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>(i) 75% from the Section Officers in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with seven years regular service in the grade; and</p> <p>(ii) 25% from the Private Secretaries in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with seven years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>(a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent, in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in Level 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent; and</p> <p>(iii) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent;</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services -Chairperson;</li> <li>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member;</li> <li>3. Director or Deputy Secretary, (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Member.</li> </ol> <p>Selection Committee (for considering deputation) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson;</li> <li>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member;</li> <li>3. Director or Deputy Secretary, Department of Financial Services - Member;</li> <li>4. Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Member;</li> <li>5. Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India - Member.</li> </ol>	Not applicable.



(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			<p>(iv)with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent;</p> <p>(b) Officers of the public sector banks,-</p> <p>(i) Scale IV Officers holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;or</p> <p>(ii) Scale III Officers with five years regular service in the post.</p> <p><b>Desirable:</b> Experience in legal or judicial work.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.Recovery Officer.	18 * (2018)  *subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level 11 (Rs 67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	<p>(a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or equivalent, in the parent cadre or department;or</p>	<p>Selection Committee (for considering deputation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson;</li> <li>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services - Member;</li> <li>3. Director or Deputy Secretary, Department of Financial Services - Member;</li> <li>4. Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial</li> </ol>	Not applicable.

			<p>(iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent, in the parent cadre or department;or</p> <p>(iv)with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent, in the parent cadre or department;</p>	<p>Services - Member; 5. Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India - Member.</p>	
			<p>(b) Officers of the public sector banks,-</p> <p>(i) Scale IV Officers holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;or</p> <p>(ii) Scale III Officers with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post.</p> <p><b>Desirable:</b> Degree in law or having legal experience.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.Section Officer.	10* (2018)  *subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 7 (Rs. 44900-142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b> Assistants in Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal -Chairperson;</p> <p>2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate</p>	Not applicable.

		<p>considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals;</p> <p>(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Experience in legal or judicial work.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	<p>Tribunal or Debts Recovery Tribunal - Member;</p> <p>3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.</p>	
--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.Private Secretary.	10 * (2018)  *subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 7 (Rs. 44900-142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Stenographers Grade I in Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal — Chairperson;</li> <li>2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal — Member;</li> <li>3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal — Member.</li> </ol>	Not applicable.

		<p>seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Stenographer Grade I in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Desirable:</b> Experience in legal or judicial work.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>		
--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.Assistant.	38 * (2018)  *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs.35400-112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Upper Division Clerks in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Courts or Tribunals,-</p> <p>(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	Promotion	Not applicable.
				1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal - Chairperson;		
				2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal - Member;		
				3 . Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal -Member.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Accounts Assistant.	09* (2018) *subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs. 35400-112400).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	<p>Officers under the Central Government,-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) who have undergone training in cash and accounts work in Institute of Secretariat Training and Management or equivalent Institute of Central Government.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	Not applicable.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Stenographer Grade I.	19* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs. 35400-112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Stenographers Grade II in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal — Chairperson;</li> <li>Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal — Member;</li> <li>Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal — Member.</li> </ol>	Not applicable.

			<p>Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Upper Division Clerk.	29 * (2018)  *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level 4 (Rs.25500-81100).	Non-selection.	Not applicable.	Degree of a recognized university or equivalent.

(8)	(9)	(10)	(11)			(12)		(13)
Not applicable.	Two years for direct recruitment. Nil for promotees.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Note1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>			Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—  1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal — Chairperson;  2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal — Member;  3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal — Member.		Not applicable.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
10. Stenographer	*10 (2018)	Group	Level 4	Not applicable.	Between 18 and 27	(i) 12 <sup>th</sup> class pass or		

Grade II.	*Subject to variation dependent on workload.	'C'.	(Rs. 25500-81100).		years  (Relaxable for Government Servant upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	equivalent from a recognized Board or University;  (ii) Skill Test Norms:—  Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute  Transcription: 65 minutes (English), 75 minutes (Hindi) (On Manual Typewriter) or 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) (On Computer).
-----------	--	------	--------------------	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment through Staff Selection Commission.  <b>Note :</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government,-  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (ii) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—  1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal — Chairperson;  2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal — Member;  3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal — Member.	Not Applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Lower Division Clerk.	38* (2018)  * subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level 2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by Staff Selection Commission (where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).	(i) 12 <sup>th</sup> class or equivalent qualification from a recognised Board or University.  (ii) Typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer.  (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 Key Depressions per Hour or 9000 Key Depressions per Hour on an average of 5 key depressions for each word)

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-----	-----	------	------	------	------



Yes	Two years for direct recruits.	<p>(i) 50% by direct recruitment through Staff Selection Commission.</p> <p>(ii) 50% by promotion on the basis of a departmental qualifying examination failing which by deputation.</p>	<p><b>Promotion:</b></p> <p>From amongst Multi-Tasking Staff with three years regular service in the grade and who possess 12th class pass or equivalent qualification, on the basis of a departmental qualifying examination.</p> <p><b>Note 1.-</b> The maximum age-limit for appearing in the examination shall be forty five years.</p> <p><b>Note 2.-</b> Relaxable in case of the employees belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p><b>Note 3.-</b> If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) under column 10 qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion or confirmation) consisting of :—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrar or Secretary Debts Recovery Appellate Tribunal — Chairperson;</li> <li>2. Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal — Member;</li> <li>3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal — Member.</li> </ol>	Not Applicable.
			<p>the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.</p> <p><b>Deputation:—</b></p> <p>From amongst staff of Central or State Government or Courts or Tribunals:—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</li> <li>(ii) With three years regular service in level-1 (Rs 18000-56900/) in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and</li> <li>(b) Possessing educational qualifications as</li> </ol>		

			<p>prescribed under column (7) for direct recruits</p> <p><b>Note 1.-</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2.-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	08* (2018)  *subject to variation dependent on workload	Group 'C'.	Level 2 (Rs. 19900-63200).	Not applicable.	<p>Between 18 and 25* years (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note 1 :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>*If the direct recruitment is to be made by direct open competitive Examination, the age limit would be 18-27 years.</p>	<p>(i) Possession of a valid driving licence for motor cars;</p> <p>(ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle);</p> <p>(iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years; and</p> <p>(iv) Pass in 10<sup>th</sup> standard.</p> <p><b>Desirable:</b> 3 years service as Home Guard or Civil Volunteers.</p> <p><b>Note :</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation or absorption failing which by direct recruitment.  For Armed Forces	<p><b>Deputation or absorption:</b></p> <p>From amongst regular Group 'C' employees in Level 1 in the pay matrix (Rs 18000-56900) in Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from amongst regular Group 'C' employees</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—</p> <p>1. Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal — Chairperson;</p>	Not applicable.

		<p>Personnel: Deputation or re-employment.</p> <p>in Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7).</p> <p><b>Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:</b></p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	<p>2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal — Member;</p> <p>3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal — Member.</p>	
--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. Multi-Tasking Staff.	53* (2018)  *subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level 1 (Rs.18000-56900).	Not applicable.	<p>Between 18 and 25 years.</p> <p><b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p>	Matriculation or equivalent.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-----	-----	------	------	------	------

Not applicable.	Two years.	By direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : —  1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal — Chairperson;  2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal — Member;  3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal — Member.	Not applicable.
-----------------	------------	---	-----------------	--	-----------------

**Third Schedule  
(See Rule 5)**

Serial Number	Post	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
3.	Group 'A'	Central Government

**Fourth Schedule  
(See Rule 6)**

Serial Number	Post	Appointing Authority	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal	Central Government (Hon'ble Minister of Finance)
3.	Group 'A'	Central Government	As provided in Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965

[F. No. 5/2/2016-DRT]

V.V.S KHARAYAT, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 8 जून, 2018

**सा.का.नि. 539(अ).—**केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोधय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्नलिखित का अधिकांत करते हुए —

- (1) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (2) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (3) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई, (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015;
- (4) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (5) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (6) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (7) ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (8) ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (9) ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (10) ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (11) ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (12) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (13) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, मुम्बई, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (14) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, मुम्बई, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (15) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, मुम्बई, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (16) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, मुम्बई, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (17) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (18) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, मुम्बई, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (19) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, मुम्बई, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (20) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, मुम्बई, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (21) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, मुम्बई, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (22) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (23) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, मुम्बई, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (24) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, मुम्बई, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (25) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, मुम्बई, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (26) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, मुम्बई, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (27) ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;

- (28) ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (29) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, अहमदाबाद, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (30) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, अहमदाबाद, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (31) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, अहमदाबाद, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (32) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, अहमदाबाद, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2009;
- (33) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, अहमदाबाद, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (34) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, अहमदाबाद, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (35) ऋण वसूली अधिकरण, पुणे, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003;
- (36) ऋण वसूली अधिकरण, पुणे, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (37) ऋण वसूली अधिकरण, पुणे, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (38) ऋण वसूली अधिकरण, पुणे, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (39) ऋण वसूली अधिकरण, पुणे, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (40) ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (41) ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (42) ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (43) ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (44) ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;

केन्द्रीय सरकार, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई और ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, ऋण वसूली अधिकरण, मुम्बई-1, ऋण वसूली अधिकरण, मुम्बई-2, ऋण वसूली अधिकरण, मुम्बई-3, ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद-1, ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद-2, ऋण वसूली अधिकरण, पुणे और ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर में समूह 'क', 'ख' और 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई और ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, मुम्बई, अहमदाबाद, पुणे और नागपुर भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **ग्रेड और संख्या** - ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई और उसके अधिकारिता के अंतर्गत प्रत्येक ऋण वसूली अधिकरण में विभिन्न ग्रेड और प्रत्येक ग्रेड में रिक्तियों की संख्या उपाबद्ध पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** - पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन से उपाबद्ध दूसरी अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो दूसरी अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **नियुक्ति प्राधिकारी** - तीसरी अनुसूची के स्तंभ (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) के अंतर्गत तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होगा।



	लिपिक										
12.	स्टाफ कार ड्राईवर	1	1	0	1	1	1	1	1	1	8
13.	बहु कार्य कर्मचारिवृंद	4	7	5	7	7	7	7	7	6	57

### दूसरी अनुसूची

(नियम 3 और 4 देखें)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है	सीधी भर्ती से आने वालों हेतु आयु-सीमा	सीधी भर्ती से आने वालों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 रजिस्ट्रार	* 09 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 12 (78800-209200 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा	<b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी जिसने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। <b>टिप्पणी:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता या पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। <b>प्रतिनियुक्ति:</b> (क) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारें अथवा न्यायालयों अथवा अभिकरणों के अंतर्गत अधिकारी	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) - सदस्य 3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य चयन समिति (प्रतिनियुक्ति	लागू नहीं होता।



			<p>(i) जो विभाग के मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करते हों; अथवा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा</p> <p>(ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी,-</p> <p>(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित सेवा के साथ आधार पर वेतनमान में V सदृश पदधारण करते हों;</p> <p>(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतनमान IV में पद पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ;</p> <p><b>बांछनीय:</b> विधिक अथवा न्यायायिक कार्य का अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को दृष्टान्त वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>पर विचार करने हेतु की संरचना निम्नानुसार है:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष</li> <li>2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य</li> <li>3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य</li> <li>4. विधिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक – सदस्य</li> </ol>	
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 सहायक रजिस्ट्रार	* 08 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b></p> <p>(i) श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 में अनुभाग अधिकारियों से 75%; और</p> <p>(ii) श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 में निजी सचिवों से 25%।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा वशत कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष</li> <li>2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य</li> <li>3. निदेशक या उप सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण),</li> </ol>	लागू नहीं होता।

		<p>अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपए) में नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के अतिरिक्त मूल संवर्ग या विभाग में या उसके समान पद में स्तर 9 में अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर हो; या</p> <p>(iii) वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) के स्तर 8 या समतुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 6 वर्ष सेवा की हो;</p> <p>(iv) वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 या समतुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>(ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी-</p> <p>(i) स्केल-V के अधिकारी जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण कर रहे हों;</p> <p>(ii) स्केल-III के अधिकारी जिसने पद में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की सीधी पक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-ब्राह्म पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>वित्तीय सेवाएं विभाग -</p> <p>सदस्य</p> <p>चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <p>1. संयुक्त सचिव,</p> <p>(ऋण वसूली अधिकरण),</p> <p>वित्तीय सेवाएं विभाग -</p> <p>अध्यक्ष</p> <p>2. पीठासीन अधिकारी,</p> <p>ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाए) - सदस्य</p> <p>3. निदेशक या उप सचिव,</p> <p>वित्तीय सेवाएं विभाग -</p> <p>सदस्य</p> <p>4. निदेशक या उप सचिव,</p> <p>(ऋण वसूली अधिकरण),</p> <p>वित्तीय सेवाएं विभाग -</p> <p>सदस्य</p> <p>5 संयुक्त विधिक सलाहकार,</p> <p>भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य</p>	
--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 वसूली अधिकारी	* 16 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपए) स्तर 9 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) स्तर 8 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद</p>	<p>चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <p>1. संयुक्त सचिव,</p> <p>(ऋण वसूली अधिकरण),</p> <p>वित्तीय सेवाएं विभाग -</p> <p>अध्यक्ष</p> <p>2. पीठासीन अधिकारी,</p> <p>ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाए) - सदस्य</p>	लागू नहीं।

		<p>पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी-</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करने वाले स्केल-IV अधिकारी; या</p> <p>(ii) पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में स्केल-III अधिकारी जिन्होंने पांच वर्ष सेवा की है।</p> <p><b>बांछनीय:</b> विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>3. निदेशक या उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य</p> <p>4. निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य</p> <p>5. संयुक्त विधिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य</p>	
--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4 अनुभाग अधिकारी	* 09 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसमें सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 में ऐसे सहायकों ने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>बांछनीय:</b> विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की प्रत्यक्ष पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ के पात्र नहीं होंगे।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण - अध्यक्ष</li> <li>2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> <li>3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

		<p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5 निजी सचिव	* 09 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसमें सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) के स्तर 6 में ऐसा आशुलिपिक ग्रेड-1 जिसने श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा वशत कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 या समतुल्य आशुलिपिक ग्रेड में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो।</p> <p><b>बांछनीय:</b> विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचार किए जाने के तहत पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण – अध्यक्ष</li> <li>2. सचिव या पंजीयक, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> <li>3. सहायक पंजीयक या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6 सहायक	* 34 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति प्राप्त लोगों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4 में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्र सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण – अध्यक्ष</li> <li>2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> <li>3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 लेखा सहायक	* 08 (2018) * कार्यभार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी,—</p> <p>(क) (i) वर्तमान संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करने वाले; अथवा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>(ख) जिसने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान अथवा समकक्ष केन्द्रीय सरकार के किसी भी संस्थान से नकद और लेखा के काम का प्रशिक्षण लिया हो।</p> <p><b>टिप्पण: 1.</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण: 2.</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8 आशुलिपिक ग्रेड।	* 17 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4 में आशुलिपिक ग्रेड-2 जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण अथवा पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – अध्यक्ष</li> <li>2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण अथवा ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> <li>3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9 उच्च श्रेणी लिपिक	* 26 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 4 (25500-81100 रुपए)	अचयन	लागू नहीं होता	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपए) में स्तर 2 में अवर श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में आठ वर्ष नियमित</p>	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)	लागू नहीं होता

प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए शून्य	हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके बरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपए) में स्तर 2 या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात अवर श्रेणी लिपिक जिसने आठ वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण - अध्यक्ष</li> <li>2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> <li>3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य</li> </ol>
----------------------------------	---------------------------------	--	---

10 आशुलिपिक ग्रेड II	* 08 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 4 (25500-81100 रुपए)	लागू नहीं होता	<p>18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगा।</p>	<p>(i) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उसके समतुल्य</p> <p>(ii) कौशल परीक्षण की शर्तें</p> <p>श्रुत लेख: 10 मिनट और 80 शब्द प्रति मिनट</p> <p>प्रतिलेखन: 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिन्दी) (मैन्युअल टाइपराइटिंग पर) अथवा 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी) (कंप्यूटर पर)</p>
----------------------	--	----------	---------------------------	----------------	--	---

(8) लागू नहीं होता	(9) दो वर्ष	(10) सीधी भर्ती द्वारा <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य	(11) लागू नहीं	(12) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—	(13) लागू नहीं होता
-----------------------	----------------	---	-------------------	--	------------------------

		परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण कर रहे हों; अथवा (ii) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए विहित अर्हता रखता हो।		1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण - अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य	
--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 अवर श्रेणी लिपिक	* 34 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 2 (19900-63200 रुपए)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पण:</b> आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगा (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती है, वहां आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तारीख आवेदन की अंतिम तारीख के अनुसार होगा)।	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबावों के आधार पर प्रत्येक घंटा 10,500 कुंजी दबावों अथवा प्रत्येक घंटा 9000 कुंजी दबावों के तदनु रूप हो)।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
हां	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	(i) 50% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 50% विभागीय अर्हता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा उसमें असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<b>प्रोन्नति:</b> बहु कार्य कर्मचारिवृंद में से व्यक्ति जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य हों या विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। <b>टिप्पण 1:</b> परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा पैंतालीस वर्ष होगी। <b>टिप्पण 2:</b> केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक छूट दी जाएगी। <b>टिप्पण 3:</b> यदि खंड (ii) के अंतर्गत स्तंभ 10 के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से परीक्षा में उत्तीर्ण ऐसे कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है तो ऐसी अतिरिक्त संख्या वाले कर्मचारियों तदनंतर वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने हेतु विचार किया जाएगा ताकि पूर्व में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो कि बाद की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। <b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के कर्मचारिवृंद में से:— (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण - अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य और 3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता



			<p>(7) के अंतर्गत विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12 स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	* 08(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 2 (19900-63200 रुपए)	लागू नहीं	<p>18 से 25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख वह होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p> <p>* यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।</p>	<p>(i) मोटर कार के लिए विधि मान्य चालन अनुज्ञा-पत्र होना चाहिए;</p> <p>(ii) मोटर रचना तंत्र की जानकारी (आवेदक वाहन की छोटी त्रुटियों को दूर करने योग्य होना चाहिए);</p> <p>(iii) मोटर कार के लिए चालन का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव; और</p> <p>(iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।</p> <p><b>वांछनीय:</b> होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सेवा।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती से आने वाले अथवा पुनर्नियोजन वालों हेतु	प्रतिनियुक्ति तथा आमेलन जिसके ना हो सकते	<p><b>प्रतिनियुक्ति तथा आमेलन:</b></p> <p>ऋण वसूली अपील अधिकरण अथवा ऋण वसूली अधिकरणों के समूह 'ग' के वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 के उन नियमित कर्मचारियों में से मोटर कार चलाने की क्षमता के आकलन हेतु</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे:—</p> <p>1. पंजीयक या सचिव,</p>	लागू नहीं

दो वर्ष	पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बलों के कार्मिकों हेतु; प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन	चालन परीक्षा के आधार पर जिनके पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो। इसमें सफल ना होने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में समूह 'ग' के वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 के उन नियमित कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं को पूरा करते हों। <b>प्रतिनियुक्ति अथवा सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए पुनर्नियोजन:</b> सशस्त्र बलों के वे कार्मिक जो कि सेवानिवृत्त होने वाले हैं अथवा जिन्हें कि एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विनिर्धारित अर्हताएं हैं, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा उस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाता है तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। <b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण - अध्यक्ष 2. पंजीयक या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक पंजीयक, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य
---------	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13 बहु कार्य कर्मचारिवृंद	* 57 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 1 (18000-56900 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच <b>टिप्पण 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	मैट्रिकुलेशन या समतुल्य

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण - अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता

तीसरी अनुसूची  
(नियम 5 देखें)

क्रम संख्या (1)	पद (2)	नियुक्ति प्राधिकारी (3)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार

चौथी अनुसूची  
(नियम 6 देखें)

क्रम संख्या (1)	पद (2)	अनुशासनिक प्राधिकारी (3)	अपीलीय प्राधिकारी (4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	केन्द्र सरकार (माननीय वित्त मंत्री)
3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में यथा उपबंधित

[फ्रा. सं. 5/2/2016- डीआरटी]

वीवीएस खड़ायत, अवर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8 th June, 2018

**G.S.R. 539(E).**— In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), and in supersession of-

- 1) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- 2) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998;
- 3) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai (Court Master), Recruitment Rules, 2015;
- 4) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 5) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 6) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 7) the Debts Recovery Tribunal, Aurangabad, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- 8) the Debts Recovery Tribunal, Aurangabad, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 9) the Debts Recovery Tribunal, Aurangabad (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 10) the Debts Recovery Tribunal, Aurangabad (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 11) the Debts Recovery Tribunal, Aurangabad (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 12) the Debts Recovery Tribunal, No. 1, Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- 13) the Debts Recovery Tribunal, Mumbai, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998;
- 14) the Debts Recovery Tribunal-I, Mumbai (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 15) the Debts Recovery Tribunal-1, Mumbai (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 16) the Debts Recovery Tribunal-I, Mumbai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 17) the Debts Recovery Tribunal, No. 2 Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 18) the Debts Recovery Tribunal -II, Mumbai, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 19) the Debts Recovery Tribunal-II, Mumbai (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 20) the Debts Recovery Tribunal-2, Mumbai (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 21) the Debts Recovery Tribunal-2, Mumbai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 22) the Debts Recovery Tribunal, No. 3 Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;

- 23) the Debts Recovery Tribunal-III Mumbai, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 24) the Debts Recovery Tribunal-III, Mumbai (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 25) the Debts Recovery Tribunal- 3, Mumbai (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 26) the Debts Recovery Tribunal-3, Mumbai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 27) the Debts Recovery Tribunal, Ahmedabad, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 28) the Debts Recovery Tribunal, Ahmedabad, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998;
- 29) the Debts Recovery Tribunal-I, Ahmedabad (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 30) the Debts Recovery Tribunal-1, Ahmedabad (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 31) the Debts Recovery Tribunal-1, Ahmedabad (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 32) the Debts Recovery Tribunal-II, Ahmedabad (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2009;
- 33) the Debts Recovery Tribunal-II, Ahmedabad (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 34) the Debts Recovery Tribunal-2, Ahmedabad (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 35) the Debts Recovery Tribunal, Pune Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2003;
- 36) the Debts Recovery Tribunal, Pune, (Group 'C' and 'D' posts)(Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 37) the Debts Recovery Tribunal, Pune (Lower Division Clerk), Recruitment Rules, 2017;
- 38) the Debts Recovery Tribunal, Pune (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 39) the Debts Recovery Tribunal, Pune (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 40) the Debts Recovery Tribunal, Nagpur, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 41) the Debts Recovery Tribunal, Nagpur,(Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 42) the Debts Recovery Tribunal, Nagpur (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 43) the Debts Recovery Tribunal, Nagpur (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 44) the Debts Recovery Tribunal, Nagpur (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016.

except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Group 'A', 'B' and 'C' in the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, and, Debts Recovery Tribunal, Aurangabad, Debts Recovery Tribunal, Mumbai-1, Debts Recovery Tribunal, Mumbai-2, Debts Recovery Tribunal, Mumbai -3, Debts Recovery Tribunal, Ahmedabad-1, Debts Recovery Tribunal, Ahmedabad -2, Debts Recovery Tribunal, Pune, and Debts Recovery Tribunal, Nagpur, namely:-

**1. Short Title and Commencement.-** (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai and Debts Recovery Tribunals at Aurangabad, Mumbai, Ahmedabad, Pune and Nagpur Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Grade and strength.-** The various grades and the number of posts in each grade in Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai and each Debts Recovery Tribunal under its jurisdiction are as specified in the First Schedule annexed hereto.

**3. Number of post, classification and Level in the pay matrix.-** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of Second Schedule .

**4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters related to the said post shall be specified in columns (5) to (13) of the Second Schedule .

**5. Appointing Authority.-** The Appointing Authority in respect of the post specified under column (2) of the Third Schedule shall be the authority specified in the corresponding entry under column (3) of the said Schedule.

**6. Disciplinary and Appellate Authorities.-** The Disciplinary and Appellate Authorities shall be as specified in the Fourth Schedule attached hereto.



12.	Staff Car Driver	1	1	0	1	1	1	1	1	1	8
13.	Multi-Tasking Staff	4	7	5	7	7	7	7	7	6	57

**Second Schedule**  
(See rule 3 and 4)

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age Limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Registrar.	09* (2018)  *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'.	Level 12 (Rs.78800-209200).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	(i) 50% by promotion failing which by deputation; (ii) 50% by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Assistant Registrar or Recovery Officer in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>(a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals; (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre of department; or</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services -Chairperson;</li> <li>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member;</li> <li>3. Director, Department of Financial Services - Member.</li> </ol> <p>Selection Committee (for considering deputation) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services -Chairperson;</li> <li>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be</li> </ol>	Not applicable.

			<p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent, in the parent cadre or department; or .</p> <p>(b) Officers of the public sector banks,-</p> <p>(i) holding analogous posts in scale V on a regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>(ii) with five years regular service in the post in scale IV in the parent cadre or department;</p> <p><b>Desirable:</b> Experience in legal or judicial work.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	<p>nominated by Department of Financial Services) –Member;</p> <p>3. Director, Department of Financial Services - Member;</p> <p>4. Legal Adviser, Reserve Bank of India - Member.</p>	
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Registrar.	08* (2018)  *subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level 11 (Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>(i) 75% from the Section Officers in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with seven years regular service in the grade; and</p> <p>(ii) 25% from the Private Secretaries in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with seven years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services -Chairperson;</p> <p>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member;</p> <p>3. Director or Deputy Secretary, (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Member.</p>	Not applicable.

		<p>seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>(a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent, in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in Level 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent;and</p> <p>(iv) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent;</p> <p>(b) Officers of the public sector banks,-</p> <p>(i) Scale IV Officers holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;or</p> <p>(ii) Scale III Officers with five years regular service in the post.</p> <p><b>Desirable:</b> Experience in legal or judicial work.</p> <p><b>Note1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	<p>Selection Committee (for considering deputation) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson;</li> <li>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member;</li> <li>3. Director or Deputy Secretary, Department of Financial Services - Member;</li> <li>4. Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Member;</li> <li>5. Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India - Member.</li> </ol>	
--	--	--	--	--



			<p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Recovery Officer.	16 * (2018)  *subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level 11 (Rs 67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	<p>(a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or equivalent, in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent, in the parent cadre or department; or</p> <p>(iv) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent, in the parent cadre or department;</p>	<p>Selection Committee (for considering deputation) consisting of:-</p> <p>1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services -</p> <p>Chairperson;</p> <p>2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services -</p> <p>Member;</p> <p>3. Director or Deputy Secretary, Department of Financial Services -</p> <p>Member;</p> <p>4. Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services -</p> <p>Member;</p> <p>5. Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India -</p> <p>Member.</p>	Not applicable.

			<p>(b) Officers of the public sector banks,-</p> <p>(i) Scale IV Officers holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;or</p> <p>(ii) Scale III Officers with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post.</p> <p><b>Desirable:</b> Degree in law or having legal experience.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Section Officer.	09* (2018)  *subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 7 (Rs. 44900-142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b> Assistants in Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal -</p> <p>Chairperson;</p> <p>2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal -</p> <p>Member;</p> <p>3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal -</p> <p>Member.</p>	Not applicable.

			<p>their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals;</p> <p>(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Desirable:</b> Experience in legal or judicial work.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.Private Secretary.	09 * (2018) *subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 7 (Rs. 44900-142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b> Stenographers Grade I in Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal - Chairperson;</p> <p>2. Secretary or Registrar,</p>	Not applicable.

		<p>qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Stenographer Grade I in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Desirable:</b> Experience in legal or judicial work.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held</p>	<p>Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal -</p> <p>Member;</p> <p>3 . Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal -</p> <p>Member.</p>	
--	--	--	---	--

			immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. <b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.Assistant.	34 * (2018) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs.35400-112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b> Upper Division Clerks in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central Government or State Government or Courts or Tribunals,- (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal - Chairperson;</p> <p>2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal - Member;</p> <p>3 . Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.</p>	Not applicable.

			<p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.Accounts Assistant.	08* (2018) *subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs. 35400-112400).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	<p>Officers under the Central Government,-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) who have undergone training in cash and accounts work in Institute of Secretariat Training and Management or equivalent Institute of Central Government</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	Not applicable.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Stenographer Grade I.	17* (2018)  *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs. 35400-112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b> Stenographers Grade II in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal -</p> <p>Chairperson;</p> <p>2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal -</p> <p>Member;</p> <p>3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal -</p> <p>Member.</p>	Not applicable.

			department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. <i>Note 3:</i> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Upper Division Clerk.	26 * (2018) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level 4 (Rs.25500-81100).	Non-selection.	Not applicable.	Degree of a recognized university or equivalent.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruitment. Nil for promotees.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b> Lower Division Clerk in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) Lower Division Clerk with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent, in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal —Chairperson;</li> <li>2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal—Member;</li> <li>3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal —Member.</li> </ol>	Not applicable.



			<p>shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Stenographer Grade II.	* 08 (2018)  *Subject to variation dependent on workload .	Group 'C'.	Level 4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.	<p>Between 18 and 27 years</p> <p>(Relaxable for Government Servant upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.</p>	<p>(i) 12<sup>th</sup> class pass or equivalent from a recognised Board or University;</p> <p>(ii) Skill Test Norms:—</p> <p>Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute</p> <p>Transcription: 65 minutes (English), 75 minutes (Hindi) (On Manual Typewriter) or 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) (On Computer).</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	<p>By direct recruitment through Staff Selection Commission.</p> <p><b>Note :</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government,-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (ii) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).</p>	Not applicable.	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : —</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal —Chairperson;</li> <li>2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal—Member;</li> <li>3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal—Member.</li> </ol>	Not Applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Lower Division Clerk.	34* (2018) * subject to variation dependent on work-load.	Group 'C'.	Level 2 (Rs. 19900-63200.	Non-selection.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by Staff Selection Commission (where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).	(i) 12 <sup>th</sup> class or equivalent qualification from a recognised Board or University.  (ii) Typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer.  (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 Key Depressions per Hour or 9000 Key Depressions per Hour on an average of 5 key depressions for each word)

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Yes	Two years for direct recruits.	(i) 50% by direct recruitment through Staff Selection Commission.  (ii) 50% by promotion on the basis of a departmental qualifying examination failing which by deputation.	<b>Promotion:</b>  From amongst Multi-Tasking Staff with three years regular service in the grade and who possess 12 <sup>th</sup> class pass or equivalent qualification, on the basis of a departmental qualifying examination.  <b>Note 1.-</b> The maximum age-limit for appearing in the examination shall be forty five years.  <b>Note 2.-</b> Relaxable in case of the employees belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.  <b>Note 3.-</b> If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) under column 10 qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.  Deputation:—  From amongst staff of Central or State Government or Courts or Tribunals:—	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion or confirmation) consisting of :—  1.Registrar or Secretary Debts Recovery Appellate Tribunal - Chairperson;  2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal - Member;  3.Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.	Not Applicable.

			<p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(i) (ii) With three years regular service in level-1 (Rs 18000-56900) in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing educational qualifications as prescribed under column (7) for direct recruits</p> <p><b>Note 1.-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2.-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	08* (2018)  *subject to variation dependent on work-load	Group 'C'.	Level 2 (Rs.19900-63200).	Not applicable.	<p>Between 18 and 25* years (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note 1 :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India ( and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>*If the direct recruitment is to be made by direct open competitive Examination, the age limit would be 18-27 years.</p>	<p>(i) Possession of a valid driving licence for motor cars;</p> <p>(ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle);</p> <p>(iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years; and</p> <p>(iv) Pass in 10<sup>th</sup> standard. Desirable: 3 years service as Home Guard or Civil Volunteers.</p> <p><b>Note :</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation or absorption failing which by direct recruitment.	<p><b>Deputation or absorption:</b></p> <p>From amongst regular Group 'C' employees in Level 1 in the pay matrix (Rs 18000-56900) in Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunals who</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>1. Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal - Chairperson;</p>	Not applicable.

		For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.	<p>possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from amongst regular Group 'C' employees in Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7).</p> <p><b>Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:</b></p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.</p>	<p>2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal - Member;</p> <p>3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal - Member.</p>	
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. Multi-Tasking Staff.	57* (2018) *subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level 1 (Rs.18000-56900).	Not applicable.	<p>Between 18 and 25 years.</p> <p><b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p>	Matriculation or equivalent.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—  1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal —Chairperson;  2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal—Member;  3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal—Member.	Not applicable.

**Third Schedule**  
(See Rule 5)

Serial Number	Post	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
3.	Group 'A'	Central Government

**Fourth Schedule**  
(See Rule 6)

Serial Number	Post	Appointing Authority	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal	Central Government (Hon'ble Minister of Finance)
3.	Group 'A'	Central Government	As provided in Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965

[F. No. 5/2/2016-DRT]

V.V.S. KHARAYAT, Under Secy.